ICFRE-TROPICAL FOREST RESEARCH INSTITUTE
PO: RFRC, Mandla Road, Jabalpur - 482021

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

भा.वा.अ.शि.प.-उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में "Operation and Maintenance of Water Supply Systems" तथा "Operation and Maintenance of Electrical Systems/ Electrical Installations" के लिए 14-11-2024 से 29-11-2024 तक GeM के माध्यम से (ऑनलाइन) ई-निविदाएं आमंत्रित किया जाना है। नियम और शर्तें निविदा दस्तावेज में उल्लेखित हैं। विस्तृत निविदा दस्तावेज वेबसाइट "https://gem.gov.in/" पर उपलब्ध है।

प्रभागाध्यक्ष, सुविधायें एवं सेवायें

उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान
ICFRE-TROPICAL FOREST RESEARCH INSTITUTE
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्
Indian Council of Forestry Research & Education
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद)
(An autonomous Council under the Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India)
डाकघर : आर.एफ.आर.सी., मण्डला रोड, जबलपुर — 482 021
P.O. – R.F.R.C., Mandla Road, Jabalpur – 482 021.
Phone no. 0761 2840483, Fax. - 0761 – 2840484,
Email: dir_tfri@icfre.org

निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदा-पत्र

33/0.433 के.व्ही. के दो विद्युत सब स्टेशन के चालन एवं रख-रखाव कार्य,100 के. व्ही. ए., 62.5 के. व्ही. ए. (दो नग) एवं 26 के. व्ही. ए. डीजल जनरेटर के चालन एवं रख-रखाव कार्य, संस्थान परिसर अन्तर्गत एल.टी./एच.टी., ओ.एच.पॉवर लाईन, फीडर खम्भों तथा संस्थान के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में लगी विद्युत सामग्री के रख-रखाव कार्य।

GeM के माध्यम से

E-TENDER DOCUMENT

FOR

(OPERATION AND MAINTENANCE OF ELECTRICAL SYSTEMS/ ELECTRICAL INSTALLATIONS)

THROUGH GeM

ई-निविदा सूचना सं.: विद्युत प्रणाली/2024

E-TENDER NOTICE No. Electrical Systems/2024

उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान
ICFRE-TROPICAL FOREST RESEARCH INSTITUTE
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्
Indian Council of Forestry Research & Education
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद्)
(An autonomous Council under the Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India)
डाकघर : आर.एफ.आर.सी., मण्डला रोड, जबलपुर – 482 021
P.O. – R.F.R.C., Mandla Road, Jabalpur – 482 021.
Phone no. 0761 2840483, Fax. - 0761 – 2840484,
Email: dir_tfri@icfre.org

F.No. 122-(D)/ Electrical Systems/Estate/TFRI/JBP/ Dated: 14/11/2024

ई-निविदा-आमंत्रण-सूचना /Notice Inviting e-Tender (GeM)

उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा उ.व.अ.सं.जबलपुर में **"33/0.433 के. व्ही. के दो विद्युत सब स्टेशन के चालन एवं रख-रखाव कार्य,100 के. व्ही. ए., 62.5 के. व्ही. ए. (दो नग) एवं 26 के. व्ही. ए. डीजल जनरेटर के चालन एवं रख-रखाव कार्य, संस्थान परिसर अन्तर्गत एल.टी. /एच.टी., ओ.एच.पॉवर लाईन, फीडर खम्भों तथा संस्थान के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में लगी विद्युत सामग्री के रख-रखाव कार्य"** के लिए दो बोली प्रणाली अर्थात् अर्हकारी/प्राविधिक बोली एवं वित्तीय बोली लगाने हेतु निविदाकर्ताओं से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

E-tender is invited by Tropical Forest Research Institute, Jabalpur in Two bid system i.e. Qualifying/Technical bid and financial bid for **"33/0.433 के. व्ही. के दो विद्युत सब स्टेशन के चालन एवं रख-रखाव कार्य,100 के. व्ही. ए., 62.5 के. व्ही. ए. (दो नग) एवं 26 के. व्ही. ए. डीजल जनरेटर के चालन एवं रख-रखाव कार्य, संस्थान परिसर अन्तर्गत एल.टी. /एच.टी., ओ.एच.पॉवर लाईन, फीडर खम्भों तथा संस्थान के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में लगी विद्युत सामग्री के रख-रखाव कार्य"** at TFRI, Jabalpur

निविदा-सूची /Schedule of Tender		
क्रं.सं. S No.	क्रिया विवरण/ Activity Description	सूची /Schedule
1.	निविदा क्रं / Tender No.	विद्युत प्रणाली /2024 /Electrical Systems/2024
2.	बोली (बिड्) GeM पोर्टल में पस्तुत करने की प्रारंभ तिथि Start date of submission of bid in GeM portal	14-11-2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे । निविदा दस्तावेज केवल GeM पोर्टल (https://gem.gov.in) पर उपलब्ध है जिसे बोली लगाने वाले निविदाकर्ता के प्रत्यायक का उपयोग करते हुए लॉगइन कर डाउनलोड किया जा सकता है। 14-11-2024 at 11:00 hrs. The tender document is available only in the GeM portal (https://gem.gov.in) which may be downloaded by using bidder login credentials.

3.	बोली (बिड्) खोलने की तिथि के पूर्व आयोजित की जाने वाली बैठक की समय-सारणी Pre-bid meeting schedule	22-11-2024 को अपराह्न 3.00 बजे से 4.00 बजे तक / 22-11-2024 from 15:00 hrs to 16:00 hrs. (बैठक आयोजित करने का स्थानः टी.एफ.आर.आई., जबलपुर के प्रशासनिक भवन के भूतल स्थित सम्मेलन-कक्ष । संपर्क पदाधिकारीः सम्पत्ति अनुभाग प्रभारी । (Venue: Conference Hall, Administrative Building, Ground Floor, TFRI, JBP. Contact person: Estate Section Incharge)
4.	बोली (बिड्) ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय/ Time and last date of submitting bid online	29-11-2024 पूर्वाह्न 11.00 बजे /29-11-2024 at 11.00 hrs
5.	प्राविधिक बोली (बिड्) खोलने की तिथि एवं समय/ Time and Date of Opening of Technical Bid.	29-11-2024 पूर्वाह्न 11.15 बजे /29-11-2024 at 11.15 hrs
6.	वित्तीय बोली (बिड्) खोलने की तिथि एवं समय Time and Date of Opening of Financial Bid	प्राविधिक बोली (बिड्) मूल्यांकन परख के पश्चात विनिश्चय किया जावेगा । It will be decided after Technical bid evaluation.
7.	संभावित ठेके की अवधि /Tentative Contract Period	01-01-2025 से 31-12-2025/01-01-2025 to 31-12-2025
8.	जमा की जानेवाली प्रतिभूति राशि (यदि विधिमान्य प्रमाण-पत्र है अर्थात् एमएसएमई, स्टार्टअप इत्यादि है तो, प्रतिभूति राशि जमा करने की छूट-प्राप्त होगी) । Amount of EMD to be deposited (Exempted if have valid certificate viz. MSME, Startup etc.)	रु. 79,000/- (उनासी हजार रुपये मात्र) Rs. 79,000/- (Rupees seventy nine thousand only)
9.	निविदा लागत	रुपए 15,80,000/- लगभग

I. निविदा दस्तावेजों को दिये हुए समयावधि में GeM portal (https://gem.gov.in) के वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है । The tender documents can be downloaded from the website of GeM portal (https://gem.gov.in) in the given time period.

II. इच्छुक एवं पात्र बोली लगाने वाले (बिडर्स) अपने निविदा-पत्र विहित प्रपत्र में GeM portal (https://gem.gov.in) पर ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें । बोली लगाने वाले (बिडर्स) को यह अनिवार्य है कि, निवदा-प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा जावे । इच्छुक निविदाकर्ता, कृपया निविदा-प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पूर्व कोई शुद्धि-पत्र/परिशिष्ट/संशोधन जारी होने की जानकारी प्राप्त करने हेतु GeM portal (https://gem.gov.in) वेबसाइट के संपर्क में रहें । The interested and eligible bidders submit the tenders online only at GeM portal (https://gem.gov.in) in the prescribed proforma. It is mandatory for the bidder to fill the tender form completely. Intending tenderers are advised to visit the web site of GeM portal (https://gem.gov.in) frequently prior to closing date of submission of tender for any corrigendum/addendum/amendment.

III. इच्छुक बोलीदाता (बिडर्स) निविदा दस्तावेज के अनुसार GeM portal (https://gem.gov.in) पर अपना भाव/दर ऑनलाइन जमा करें । निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि निविदा दस्तावेज और उपरोक्त वेबसाइट में दिए गए निर्देशों के अनुसार निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें। पात्रता मानदंड आदि के समर्थन में सभी दस्तावेजों/प्रमाण पत्र को स्कैन कर और निविदा दस्तावेज के साथ अपलोड किया जाना है । बोली की निर्धारित तिथि और समय की समाप्ति के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई दस्तावेज़/प्रमाणपत्र (ऑनलाइन/ऑफ़लाइन) स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस निविदा के संबंध में कोई भी शुद्धि-पत्र / परिशिष्ट केवल उपरोक्त वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगा ।

Interested bidders submit their quotation online on GeM portal (https://gem.gov.in) as per the tender document. Bidders are requested to follow the instructions carefully as per the tender document and the instructions given in the above said website. All the documents/certificates in support of eligibility criteria etc. are also to be scanned and uploaded along with the tender document. No documents/certificates (online/offline) will be accepted after the expiry of stipulated date and time of Bid under any circumstances what so ever. **Any corrigendum/addendum regarding this tender will be available on the above said website only.**

IV. इंडेक्स के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों में पेज नंबर होने चाहिए। निविदा के अनुसार वांछित दस्तावेज ही संलग्न करें। अवांछित और दोहराये गए दस्तावेज़ संलग्न न करें।

There should be page numbers in the documents uploaded along with the **index**. Attach only the desired documents according to the tender. Do not attach unsolicited and replicated documents.

V. बोलीकर्ता (बिडर्स) राष्ट्रीयकृत बैंक से रु. 79,000/- (उनासी हजार रुपये मात्र) डिमांड ड्राफ्ट / फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद / टर्म डिपॉजिट रसीद (डीडी / एफडीआर / टीडीआर) निविदा की धरोहर बयाना (ईएमडी) के रूप में, निदेशक, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के पक्ष में आहरित ईएमडी इस कार्यालय में बोलियां खोलने से पहले (डीडी / एफडीआर / टीडीआर की स्कैन की गई प्रति) ऑनलाइन अपलोड की जानी चाहिए । फर्मों/एजेंसियों/सोसाइटियों/व्यक्तियों आदि को सरकार के नियमों के अनुसार ईएमडी जमा करने से छूट दी जाएगी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (अर्थात एमएसएमई इत्यादि) प्रस्तुत करने पर । बोलीकर्ताओं / निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि, यदि वे डीडी जमा कर रहे हैं तो, डीडी के पीछे स्पष्ट रुप से अपना नाम और पूरा पता अवश्य लिखें ।

The applicant has to deposit Earnest Money (EMD) of Rs. 79,000/- (Rupees seventy nine thousand only) in the form of a Demand Draft/Fixed Deposit Receipt/Term Deposit Receipt (DD/FDR/TDR) from Nationalized Bank drawn in favor of Director, Tropical Forest Research Institute, Jabalpur and it has to be submitted before opening of bids to this office (Scanned copy of DD/FDR/TDR to be uploaded online) towards EMD. **Firms/agencies/societies/individuals etc. will be exempted from submitting EMD as per Govt. norms subject to submission of the valid registration certificate (viz. MSME etc.). Bidders are requested to write their name and full address at the back of DD if they are submitting DD.**

VI. ईएमडी राशि की डीडी / एफडीआर / टीडीआर निविदा आमंत्रित प्राधिकारी अर्थात, निदेशक, भा.व.अ.शि.प.- टीएफआरआई, जबलपुर के समक्ष निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व केवल डाक द्वारा प्रस्तुत करना होगा।

The aforesaid DD/FDR/TDR towards cost for EMD should be submitted to the tender inviting authority i.e., Director, ICFRE-TFRI, Jabalpur by post only within the last date of online submission of bid.

VII. उपरोक्त पोर्टल में ईएमडी (डीडी/एफडीआर/टीडीआर) यदि लागू हो या एमएसएमई इत्यादि प्रमाण-पत्र के साथ की स्कैन की हुई प्रतिलिपि संलग्न नहीं की जाने की स्थिति में, निविदा दस्तावेज (निविदा प्रपत्र) स्वीकार नहीं किए जावेगें ।

The duly filled-in tender documents (tender form) shall not be accepted if they are not accompanied by the scanned copy of the DD/FDR/TDR towards the EMD if applicable or MSME etc. certificate in the above portal.

VIII. प्रावधिक बोली (Technical Bid) को इस कार्यालय की निविदा खोलने की समिति द्वारा निर्धारित तिथि पर ऑनलाइन खोला जाएगा । पहले चरण में, कार्यालय में गठित निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी) द्वारा तकनिकी बोली का मूल्यांकन किया जावेगा । दूसरे चरण में केवल तकनीकी बोली में अर्हता प्राप्त करने वाले बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली (Financial Bid) खोली जाएगी, जिसके लिए जीईएम पोर्टल पर तारीख और समय की सूचना दी जाएगी। निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी), वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन के बाद सफल फर्म/एजेंसी को कार्य सौंपने के लिए अपनी विशिष्ट सिफारिश देगी। नए स्टार्टअप के लिए अनुभव और टर्नओवर लागू नहीं है। वित्तीय बोली में यदि एक से अधिक बोलीदाता एल1 आते हैं तो टीईसी/निदेशक नियमानुसार निर्णय लेंगे। इस संबंध में किसी भी प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया जाएगा।

The Technical Bids will be opened online on scheduled date by a Tender Opening Committee of this Office. At the first stage the technical bids shall be evaluated by the Tender Evaluation committee (TEC) constituted for the purpose by the office. At the second stage, the Financial Bids of only those bidders who qualify in the technical bid will be opened for which the date and time will be intimated on GeM portal. The Tender Evaluation Committee (TEC), after evaluation of the Financial Bids will give its specific recommendation for award of work to the successful firm/agency. Experience and turnover is not applicable for fresh startups. In financial bids if more than one bidder comes out with L1 then TEC/Director will take decision as per rules. In this regard, no representation will be entertained.

IX. यह कार्यालय निविदा दस्तावेज में सम्मिलित किसी भी नियम और शर्तों को संशोधित करने या वापस लेने का अधिकार रखता है या बिना कोई नोटिस दिए या बिना कोई कारण बताए किसी भी / सभी निविदाओं को आंशिक / पूर्ण रूप से स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार रखता है । इस संबंध में निदेशक, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर का निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा ।

This Office reserves the right to amend or withdraw any of the terms and conditions contained in the Tender Document or to accept/reject any/all tenders in part /full without giving any notice or assigning any reason thereof. The decision

of the Director, Tropical Forest Research Institute, Jabalpur in this regard shall be final and binding on all.

X. बोलीदाता द्वारा बिड् के सभी दस्तावेजों निर्देशों, प्रपत्रों, विनिर्देशों, नियमों और शर्तों की जांच करना अपेक्षित है। बोली दस्तावेजों के अनुसार आवश्यक सभी सूचनाओं और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल रहने या बिड् पर्याप्त रूप से प्रस्तुत नहीं करने या बोली को हर लिहाज से बोली दस्तावेजों के लिए पर्याप्त रूप से उत्तरदायी नहीं रहना बोलीदाता के जोखिम पर होगा और बोली को अस्वीकार कर दिया जावेगा। इस दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ को मुहर / मुहर के साथ विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और तदनुसार अपलोड किया जाना चाहिए।

The Bidder is expected to examine all instructions, forms, specifications, terms and conditions in the Bid Documents. Failure to furnish all information and documents required as per the Bid Documents or submission of bids not substantially responsive to the Bid Documents in every respect will be at the Bidder's risk and shall result in rejection of the bid. Each and every page of this document must be duly signed along with the seal/stamp and uploaded accordingly.

XI. निदेशक, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर स्वविवेक से, यदि आवश्यक हुआ तो, निविदा की समापन तिथि बढ़ा सकते हैं जो कि निविदाकर्ता पर बाध्यकारी होंगे। इस निविदा के संबंध में यदि कोई परिवर्तन/शुद्धिपत्र/बिड खोलने की तिथि का विस्तार यदि कोई हो, तो केवल वेबसाइट के माध्यम से जारी किया जाएगा और इस संबंध में कोई प्रेस अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी। इसलिए बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे निविदा से संबधित अद्यतीकरन (अपडेट) की जानकारी प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से संबंधित वेबसाइट के संपर्क में रहें।

Director, Tropical Forest Research Institute, Jabalpur at discretion may extend closing date if required and such extension shall be binding on Tenderers. Any changes/corrigendum/ extension of opening date if any, in respect of this tender shall be issued through above website only and no press notification will be issued in this regard. Bidders are therefore requested to regularly visit the concerned website for updates.

XII. उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर (टीएफआरआई) नामांकन / बोलीकर्ता के रूप में पंजीकरण या प्रस्तुतिकरण एवं ई-पोर्टल पर कार्य प्रस्ताव में किसी भी देरी के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा। यदि निविदाएं खोलने के दिन सरकार द्वारा कोई अवकाश घोषित किया जाता है तो, निविदाएं अगले कार्य-दिवस पर पूर्व में तय समय पर खोली जावेगी।

Tropical Forest Research Institute, Jabalpur (TFRI) will not be responsible for any delay in enrollment/registration as bidder or submitting/uploading the offer on e-

tender portal. In case any holiday is declared by the Govt. on the day of opening the tenders will be opened on the next working day at the same time.

XIII. अनजाने में निविदा दस्तावेज़ में किसी भी चूक या लिपिकीय गलती की सुधार चाहिए और बाद की तारीख में सुधार और समायोजन के अधीन होना चाहिए और फर्म ऐसी किसी भी गलती से किसी भी अनुचित लाभ को प्राप्त नहीं करेगा।

Any oversight or clerical mistake crept in inadvertently in the tender document should be subject to correction and adjustment at a later date and the firm shall not draw any undue advantage whatsoever out of any such mistake.

निदेशक /Director,

भा.व.अ.शि.प.-उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर/

Tropical Forest Research Institute, Jabalpur

<u>कार्य का विवरण</u>

1. **कार्य का नाम :**

33/0.433 के. व्ही. के दो विद्युत सब स्टेशन के चालन एवं रख-रखाव कार्य,100 के. व्ही. ए., 62.5 के. व्ही. ए. (दो नग) एवं 26 के. व्ही. ए. डीजल जनरेटर के चालन एवं रख-रखाव कार्य, संस्थान परिसर अन्तर्गत एल.टी./एच.टी., ओ.एच.पॉवर लाईन, फीडर खम्भों तथा संस्थान के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में लगी विद्युत सामग्री के रख-रखाव कार्य।

2. **कार्य का विस्तृत विवरण :** उपरोक्त कार्य में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :-

(i) विद्युत सब स्टेशन के पैनल, फिडर पैनल व 2 x 750 के.व्ही.ए. तथा 2 x 315 के.व्ही.ए. आउट डोर तथा इन डोर ट्रॉंसफार्मर तथा उससे जुड़े हुए अन्य उपकरण शामिल हैं, के चालन एवं रख-रखाव कार्य।

(ii) 100 के.व्ही.ए., 62.5 के.व्ही.ए. (दो नग) एवं 26 के.व्ही.ए. के डीजल जनरेटर सेट एवं उससे जुड़े हुए उपकरणों के चालन एवं रख-रखाव का कार्य।

(iii) परिसर अन्तर्गत एल.टी./ओ.एच. लाईन, केबल लाईन तथा उनसे जुड़े हुए खम्भों तथा स्ट्रीट लाईट एवं कम्पाऊन्ड लाईट के चालन एवं रख-रखाव का कार्य।

(iv) संस्थान परिसर अन्तर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में लगी विद्युत सामग्री - पंखों, लाईट, एग्जास्ट फेन, प्वाईन्ट, प्लग प्वाईन्ट, पावर प्वाईन्ट, वाईरिंग, मेन सिवच, एम.सी. व्ही., विद्युत मीटर आदि के रख-रखाव का कार्य ।

3. **समय-सारणी :**

(i) विद्युत सब स्टेशन एवं उससे जुड़े हुए उपकरणों के रख-रखाव हेतु चौबीस घंटे रखरखाव कर्मी तैनात करना आवश्यक होगा।

मूल्यांकन / EVALUATION

बोलियों के मूल्यांकन में दो मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

Two evaluation procedure will be adopted in evaluating the bids:

(i) वित्तीय बोली खोलने से पहले आवश्यक प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों के आधार पर बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा। जो लोग तकनीकी मूल्यांकन में योग्य हैं, केवल उनकी वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी ।

A technical evaluation of the bids on the basis of the required certificates/ documents will be carried out prior to opening of the financial bid. Those who qualify in technical evaluation, only their financial bids will be opened.

(ii) संबंधित बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन के बाद, अंतिम रूप से योग्य बोलीदाता को टीईसी द्वारा एल1 घोषित किया जाएगा और उक्त अनुबंध के के लिए पात्र होगा।

A financial evaluation- After evaluation of financial bids of the relevant bidders, finally qualified bidder will be declared L1 by TEC and eligible for award of the said contract.

यदि कोई फर्म 'निल' या 0 % रखरखाव लागत / सेवा शुल्क / लाभ मार्जिन उद्धृत करता है, तो उसकी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। सेवा शुल्क 3.85% से कम नहीं होना चाहिए (3% लाभ और लेनदेन शुल्क जो वर्तमान में 0.85% है) अन्यथा निविदा खारिज कर दी जाएगी। सेवा शुल्क मासिक आधार पर होना चाहिए । बोली लगाने वाले को सेवा शुल्क के लिए व्यावहारिक राशि का उद्धरण करना चाहिए अन्यथा यह माना जाएगा कि बोली लगाने वाले अपने श्रमिकों के साथ भुगतान करने में निष्पक्ष नहीं हैं और इसलिए, उनके निविदाओं को स्वीकार करने पर विचार नहीं किया जा सकता है । वित्तीय बोली में, यदि कोई बोलीदाता अव्यावहारिक रूप से कम सेवा शुल्क लगाता है, तो बोलीदाता को गैर-जिम्मेदार माना जा सकता है और उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जा सकता है । संस्थान बोलीदाता द्वारा उद्धृत सेवा शुल्क की व्यावहारिकता जानने के लिए उद्धृत सेवा शुल्क के औचित्य अवगत कराने के लिए सूचित कर सकता है । सेवा शुल्क प्रतिशत (%) में होना चाहिए । सेवा शुल्क पूरे नंबर या दशमलव संख्या में उद्धृत किए जाने हैं, बल्कि अंश में नहीं ।

अनुबंध अवधि के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि, दूसरी पार्टी अपने लाभ के लिए अपने कर्मचारियों से कटौती या पैसा लेती हैं, और उनके खिलाफ श्रमिकों से शिकायतें प्राप्त होती है और यह सही पाया जाता है तो उनका अनुबंध रद्द होने के लिए वे उत्तरदायी होंगे और उनकी सुरक्षा जमा राशि पूरी तरह से या आंशिक रूप से जब्त करना पहली पार्टी के विवेक पर निर्भर रहता है । इसके अलावा, वह या उसकी फर्म ब्लैक लिस्टेड हो सकती है । इस संबंध में निदेशक, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर का निर्णय अंतिम और उस पर बाध्यकारी होगा। (बोलीदाता को रु 500 /- या अधिक) के गैर-

न्यायिक स्टाम्प पेपर जो अनुबंध-I में दिया गया है) पर नोटरीकृत हलफनामा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। If firm quotes 'Nil' or 0% maintenance cost/service charge/profit margin its tender will not be accepted. The service charge should not be less than 3.85% (3% profit plus transaction charges which are 0.85% at present) else tender will be rejected. Service charge should be on monthly basis. The bidder should quote practicable amount for service charge otherwise it will be deemed that bidder is not fair with their workers in disbursing payments and hence, their tenders may not be accepted. In the Financial bid, if a bidder quotes impracticably low service charges, the bid may be treated as unresponsive and will not be considered. The institute may ask for the justification of the service charges quoted by the bidder for accessing practicability of the quoted service charges. Service charge should be in percentage (%). The service charges are to be quoted in whole number or decimal number, not in fraction.

Further, during the contract period if second party deduct or take money from their workers for their profit and the complaints receive from the workers thereon against them and found correct then their contract is liable to be cancelled and its performance security deposit may be forfeited fully or partly depending upon the discretion of the first party. Also, he or his firm may be black listed . The decision of the Director, Tropical Forest Research Institute, Jabalpur in this regard shall be final and binding on him. (Bidder should submit Notarized affidavit in this regard as given in Annexure I on non- judicial stamp paper of Rs.500/- or more).

निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न कर एकल पीडीएफ दस्तावेज़ के रूप में (यदि पोर्टल अनुमति देता है तो) या पोर्टल के प्रासंगिक कॉलम में विधिवत हस्ताक्षरित और स्कैन के बाद क्रमवार अपलोड किया जाना है । इसके अलावा, प्रत्येक के सामने पृष्ठ संख्या भी अंकित करें। पृष्ठ संख्या अंकित नहीं करने पर यदि निविदा मूल्यांकन में कोई चूक होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होगी।

The following documents are to be enclosed and uploaded **serial wise** after duly signed and scanned **as single pdf document (if portal allows) or in relevant column of the portal.** Also, indicate the **page nos.** against each of it. If any mistake occurs in tender evaluation due to absence of page numbers, the bidder himself will be responsible for it.

सूची-I / LIST-I

अपलोड किए जाने वाले प्रमाणपत्र / दस्तावेज / Certificates/Documents to be uploaded	**पृष्ठ संख्या Page nos.**

a) भरे हुए निविदा प्रपत्र सहित पूरे निविदा दस्तावेज / Whole tender document including filled in tender form	
b) फर्म का अपना स्वयं का कार्यालय जबलपुर में होना चाहिए तथा इस संबंध में मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अनुसार वैध पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए । अन्यथा उक्त बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी। वैध प्रमाण पत्र अलग से संलग्न करें (तकनीकी मूल्यांकन के दौरान छँटाई प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पोर्टल द्वारा प्रदान किए गए विकल्प के रूप में 'Seller Uploaded Documents' श्रेणी के तहत 'Bid Documents' के 'Buyer Requirement' कॉलम "Registration Certificate for Geographical Presence as required by Buyer" के विरुद्ध अलग फ़ाइल में संलग्न करें)। यदि अलग फाइल में संबंधित कॉलम में नहीं पाया जाता है, तो यह माना जाएगा कि विशेष बोलीदाता के पास जबलपुर में अपना स्वयं का कार्यालय नहीं है, भले ही विशेष बोलीदाता द्वारा विभिन्न कॉलम में प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों के समूह में उक्त प्रमाण पत्र की उपलब्धता हो । Firm should have its own office at Jabalpur and should possess valid registration certificate in this regard as per Madhya Pradesh Shops and Establishment Act 1958. Otherwise the said bid will be rejected. Enclose valid certificate separately *(enclose in separate file as option provided by the portal under 'Seller Uploaded Documents' category against the Bid Documents' Buyer Requirement column "Registration Certificate for Geographical Presence as required by Buyer" in order to expedite the sorting process during technical evaluation)*. If not found in separate file in the relevant column, it will be presumed that the particular bidder doesn't have its own office at Jabalpur irrespective of availability of the said certificate in other set of documents/certificates submitted by the particular bidder in different columns.	
c) केन्द्र शासन के विभाग :- केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, रेल विभाग, डाकतार विभाग, दूरसंचार विभाग, रक्षा विभाग अथवा राज्य शासन के विभाग :- लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग अन्तर्गत **विद्युत ठेकेदार** के रूप में पंजीयन का वैध प्रमाण-पत्र	
d) केंद्र सरकार/राज्य सरकार के बोर्ड/विभाग से जारी वैध विद्युत ठेकेदारी लायसेन्स - श्रेणी 'अ' / Valid Electrical Contractor License - Class 'A' issued from Central Govt./State Govt. Board/Department	
e) ईपीएफ पंजीकरण प्रमाणपत्र /EPF Registration Certificate	
f) ईएसआई/ पंजीकरण प्रमाणपत्र /ESI Registration Certificate	
g) जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र / GST Registration Certificate	

h) पैन कार्ड / PAN Card	
i) पिछले तीन निर्धारण वर्ष (2022-23, 2023-24 & 2024-25) तक का आयकर (आईटी) विवरण / Income Tax (IT) Return for the last three Assessment Year (2022-23, 2023-24 & 2024-25)	
j) निविदाकार कम से कम पिछले तीन वर्षो का केन्द्र/राज्य शासन के विभागों/उपक्रमों में **विद्युत सब स्टेशन चालन एवं रख-रखाव** के कार्यो को संतोषजनक रूप से पूरा करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें । निविदा प्रपत्र के साथ कम से कम पिछले तीन वर्षो में किये गये कार्यो के कार्य आदेश/कार्य पूर्णता का सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र या अन्य सहायक दस्तावेज भी संलग्न करें। नोट: नए स्टार्टअप के लिए अनुभव और टर्नओवर लागू नहीं है।	
k) क्या फर्म के विरुद्ध ईपीएफ / ईएसआई / जीएसटी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम या अन्य कानून के उल्लंघन के लिए कोई कानूनी मुकदमा / आपराधिक मामला लंबित है (विवरण दें) । फर्म / व्यक्ति आदि को यह सूचित करते हुए उसके खिलाफ कोई आपराधिक / कानूनी मुकदमा लंबित या चिन्तित न हो और गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर रु 500/या उससे अधिक रुपये का गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर नवीनतम (बोली प्रकाशन तिथि के बाद का) नोटरीकृत हलफनामा प्रस्तुत करना होगा । अन्यथा उक्त बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी। / Whether the firm has any legal suit/criminal case pending against it for violation of EPF/ESI/GST, Minimum Wages Act or other law (give details). The firm//individual etc. must enclose a latest notarized affidavit **(issued from the Bid publish/start date and by the Bid end date)** indicating that there is no criminal/legal suit pending or contemplated against it & of non-blacklisting on non- judicial stamp paper of Rs. 500/- or more. Otherwise the said bid will be rejected.	
l) बोलीदाता को 500/- रुपये या उससे अधिक के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुलग्नक **I** में दिए गए निर्धारित प्रारूप में नोटरीकृत हलफनामा प्रस्तुत करना होगा । अन्यथा उक्त बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी। Bidder must submit Notarized affidavit **(issued from the Bid publish/start date and by the Bid end date)** in the prescribed format as given in Annexure I on non- judicial stamp paper of Rs.500/- or more. Otherwise the said bid will be rejected.	
m) स्टार्टअप बोलीदाता को उनकी मान्यता के लिए संबंधित विभाग/मंत्रालय से जारी वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। / Startup bidder should submit the valid certificate issued from the concerned department/ministry for their recognition.	
n) रु. 79,000/- (उनासी हजार रुपये मात्र) की ईएमडी किसी(राष्ट्रीयकृत बैंक से डीडी /एफडीआर /TDR के रूप में) निदेशक, उ.व.अ.सं, जबलपुर के पक्ष में आहरित ।	

फर्मों/एजेंसियों/सोसाइटियों/व्यक्तियों आदि को सरकार के नियमों के अनुसार ईएमडी जमा करने से छूट दी जाएगी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (अर्थात एमएसएमई, स्टार्टअप इत्यादि) प्रस्तुत करने पर। EMD of Rs. 79,000/- (Rupees seventy nine thousand only) (in the form of DD/FDR/TDR from Nationalized bank) in favor of Director, TFRI, Jabalpur. Firms/agencies/societies/individuals etc. will be exempted from submitting EMD as per Govt. norms subject to submission of the valid registration certificate (viz. MSME, Startup etc.).	
o) पावर ऑफ अटॉर्नी / पार्टनरशिप डीड की कॉपी यदि कोई हो / Copy of Power of attorney/Partnership deed if any	
p) अन्य दस्तावेज यदि कोई हो (केवल प्रासंगिक वैध दस्तावेजों को संलग्न किया जाना चाहिए जैसे आईएसओ 9001 प्रमाण पत्र, वार्षिक कारोबार साक्ष्य आदि)/ Others if any (Only relevant valid documents should be enclosed like ISO 9001 certificate, annual turnover evidence etc.)	

नोट: यदि निविदा दस्तावेज के हिंदी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण के बीच कोई टकराव या असंगति पाई जाती है, तो विवाद की स्थिति में न्यायालिन कार्यों हेतु अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

Note: If there is any conflict or inconsistency between the Hindi version and the English version of the tender document, then English shall be the governing and prevailing version.

<u>निविदा शर्तें</u>

(1) **कार्य का नाम :**

33/0.433 के. व्ही. के दो विद्युत सब स्टेशन के चालन एवं रख-रखाव कार्य,100 के. व्ही. ए., 62.5 के. व्ही. ए. (दो नग) एवं 26 के. व्ही. ए. डीजल जनरेटर के चालन एवं रख-रखाव कार्य, संस्थान परिसर अन्तर्गत एल.टी./एच.टी., ओ.एच.पॉवर लाईन, फीडर खम्भों तथा संस्थान के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में लगी विद्युत सामग्री के रख-रखाव कार्य।

(2) **पात्रता :**

(i) निविदाकार केन्द्र शासन के विभाग :- केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, रेल विभाग, डाकतार विभाग, दूरसंचार विभाग, रक्षा विभाग अथवा राज्य शासन के विभाग :- लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के अन्तर्गत **<u>विद्युत ठेकेदार</u>** के रूप में पंजीयन का वैध प्रमाण-पत्र संलग्न करें तथा केंद्र सरकार/राज्य सरकार के बोर्ड/विभाग से जारी वैध विद्युत ठेकेदारी लायसेन्स - श्रेणी 'अ' भी संलग्न करें।

(ii) निविदाकार कम से कम पिछले तीन वर्षो का केन्द्र/राज्य शासन के विभागों/उपक्रमों में **<u>विद्युत सब.स्टेशन चालन एवं रख-रखाव</u>** के कार्यो को संतोषजनक रूप से पूरा करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें । निविदा प्रपत्र के साथ कम से कम पिछले तीन वर्षो में किये गये कार्यो के कार्य आदेश/कार्य पूर्णता का सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र या अन्य सहायक दस्तावेज भी संलग्न करें।

नोट: नए स्टार्टअप के लिए अनुभव और टर्नओवर लागू नहीं है।

(iii) निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ आयकर विभाग द्वारा प्रदायित आयकर रिटर्न संलग्न करें । (विगत तीन वर्ष)

(iv) यदि निविदाकार फर्म/ एजेंसी/सोसाइटी/व्यक्ति आदि के रूप में पंजीकृत है तो उसका पंजीयन प्रमाण-पत्र, पार्टनरशिप डीड एवं पावर ऑफ एटार्नी की प्रति यदि लागू हो तो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें।

(v) मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के तहत स्थानीय कार्यालय (अर्थात जबलपुर) का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें।

(vi) निविदाकार को EPF, ESI, GST की पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वच्छ प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

(vii) शेष दस्तावेज के लिए ऊपर सूची-I देखे।

(3) **प्रतिभूति राशि :-**

(**i**) निविदा के साथ रु. 79,000/- (उनासी हजार रुपये मात्र) का शेड्यूल्ड बैंक द्वारा ''**Director, TFRI, Jabalpur**'' के नाम पर देय Demand Draft (DD)/Fixed Deposit Receipt(FDR)/Term Deposit Receipt(TDR) संलग्न करना अनिवार्य है । DD/FDR/TDR विज्ञापन दिनांक से तीन माह तक के लिए वैध होना चाहिये । यदि विधिमान्य प्रमाण-पत्र है अर्थात् MSME इत्यादि है तो, धरोहर राशि जमा करने की छूट प्राप्त होगी ।

(**ii**) असफल निविदाकारों द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि निविदाओं पर अंतिम निर्णय लिये जाने की तारीख से 90 **दिन** के अन्दर वापिस कर दी जायेगी ।

(**iii**) सफल निविदाकार द्वारा निविदा शर्त पॉच एवं छः के अनुसार अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने एवं परफार्मेन्स सिक्यूरिटी राशि जमा करने पर उसको प्रतिभूति राशि वापिस कर दी जावेगी ।

(4) **निदेशक, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान को किसी भी निविदा को अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा ।**

(5) **अनुबन्ध पत्र :** सफल निविदाकार को स्वीकृति आदेश जारी होने की दिनांक से 15 **दिन** के अन्दर निदेशक, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के साथ एक अनुबन्ध पत्र (500 रू के स्टाम्प पेपर) पर हस्ताक्षर करने होंगे ।

(6) **परफार्मेन्स सिक्यूरिटी :** सफल निविदाकार को अनुबन्ध पत्र के साथ में वार्षिक निविदित राशि के 10 प्रतिशत के बराबर परफार्मेन्स सिक्यूरिटी डिपॉजिट ''**Director, TFRI, Jabalpur**'' के नाम पर देय DD के रूप में जमा करनी होगी ।

(7) **प्रतिभूति राशि का राजसात :** यदि सफल निविदाकार द्वारा स्वीकृति आदेश की दिनांक से 15 **दिन** के अन्दर निविदा शर्त क्र. 5 एवं 6 के अनुसार अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये जाते हैं एवं परफार्मेन्स सिक्योरिटी जमा नहीं की जाती है, तो निदेशक को स्वीकृति आदेश को निरस्त करते हुए प्रतिभूति राशि राजसात करने का अधिकार होगा ।

(8) **कार्य आदेशः** सफल निविदाकार द्वारा अनुबन्ध-पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा परफार्मेन्स सिक्यूरिटी तथा अन्य औपचारिकतायें पूरी करने पर उनको कार्य आदेश जारी किया जायेगा ।

(9) **निविदा की अवधि :**

(**i**) निविदा की अवधि, कार्य आदेश जारी किये जाने के **अगले माह** की पहली तारीख से (अंग्रेजी कलेन्डर अनुसार) बारह माह के लिए रहेगी ।

(ii) यदि आवश्यकता हुई तो निविदा अवधि कार्य की संतुष्टि के आधार पर पूर्व की शर्तो एवं पूर्व की स्वीकृत दर पर **नये निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने तक** के लिए बढ़ाई जा सकती है।

(10) **अवधि पूर्व ठेके का निरस्तीकरण :**

(i) यदि ठेकेदार द्वारा ठेका अवधि के पूर्व अचानक ठेका छोड़ दिया जाता है तो निदेशक को अधिकार होगा कि वे परफार्मेन्स सिक्यूरिटी की पूर्ण राशि राजसात करने का अधिकार होगा । साथ ही निविदाकार को पॉच वर्षो के लिए काली सूची में दर्ज कर दिया जावेगा।

(ii) यदि ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है एवं नोटिस दिये जाने के बावजूद भी ठेकेदार की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होता है तो निदेशक को अधिकार होगा कि वे एक सप्ताह के नोटिस पर ठेके को निरस्त करते हुए परफार्मेन्स सिक्यूरिटी को पूर्ण रूप से राजसात करने का अधिकार होगा।

(11) **भुगतान का तरीका :** ठेकेदार को भुगतान सामान्यतः मासिक रूप से किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा प्रति माह की **सात तारीख** तक विगत माह का भुगतान बिल प्रस्तुत किया जायेगा। अपरहार्य कारणों से यदि किसी माह भुगतान में विलम्ब होता है तो ठेकेदार को किसी प्रकार के ब्याज अथवा क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी।

(12) **स्त्रोत पर आयकर की कटौती :** ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली मासिक राशि में से आयकर विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुरूप स्त्रोत पर ही आयकर की कटौती की जावेगी ।

(13) **रखरखाव श्रमिकों का नियोजन :-**

(i) ठेकेदार को इस कार्य हेतु पांच रखरखाव कर्मी, जिनकी बिजली संबंधित कार्यो की कुशलता के अनुसार (01 कुशल, 02 अर्द्ध-कुशल एवं 02 अकुशल) रखना होगा जो घट बढ़ सकते हैं, जिससे रखरखाव का कार्य सुचारू रूप से चल सके । ठेकेदार मार्गो के निर्माण तथा अनुरक्षण या भवन निर्माण कार्य एवं भूमिगत केवल कार्य के नियोजन के श्रेणी में न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत एवं समय समय पर श्रम आयुक्त, जबलपुर द्वारा जारी प्रचलित दर पर कर्मियों को भुगतान **केवल बैंक के माध्यम से (चेक, NEFT/RTGS इत्यादि) एवं इसकी रसीद की प्रति हर माह संस्थान में जमा करना होगा।** कर्मियों को समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के आधार पर , ठेका अधिनियम एवं अन्य कानूनी नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी । इन नियमों के अनुरूप जो भी अभिलेख संधारित किये जाते हैं वे भी संधारित करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी।

(ii)निविदाकार द्वारा इस कार्य हेतु दर्शाई गई राशि से यदि श्रम नियमों के अनुसार न्यूनतम वेतन का भुगतान रखरखाव कर्मियों को करना संभव न हो तो ऐसी निविदा निरस्त कर दी जावेगी ।

(iii) ठेकेदार द्वारा लगाये गये रखरखाव कर्मियों को ठेके के दौरान, ठेके को अवधि पूर्व निरस्त किये जाने की स्थिति में अथवा ठेका पूर्ण होने के उपरान्त संस्थान में किसी प्रकार के रोजगार की पात्रता नहीं होगी ।

(iv) 33/0.433 के. व्ही. के **दो** विद्युत सब स्टेशन के चालन एवं रख-रखाव कार्य,100 के. व्ही. ए., 62.5 के. व्ही. ए. (दो नग) एवं 26 के. व्ही. ए. डीजल जनरेटर के चालन एवं रख-रखाव कार्य, संस्थान परिसर अन्तर्गत एल.टी./एच.टी., ओ.एच.पॉवर लाईन, फीडर खम्भों तथा संस्थान के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में लगी विद्युत सामग्री के रख-रखाव कार्य के अनुरूप उचित रूप से प्रशिक्षित तथा शासकीय संस्थान/विभाग में विगत 5 वर्षो का 33 के. व्ही. विद्युत सब स्टेशन में कार्य का अनुभव प्राप्त कर्मियों को ही ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाया जायेगा। कुशल रखरखाव कर्मियों के पास आवश्यक शैक्षणिक अर्हता आदि के प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।

(v) ठेकेदार उनके द्वारा लगाये गये रखरखाव कर्मियों की सूची, पूर्ण पते सहित, सम्पत्ति अधिकारी को सौंपेंगे। साथ ही कर्मचारियों के आगामी माह का मासिक ड्यूटी चार्ट भी उस माह की एक तारीख को सम्पत्ति अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा। ठेकेदार द्वारा प्रत्येक श्रमिक को पहचान पत्र भी जारी किया जायेगा।

(vi) ठेकेदार द्वारा लगाये गये रखरखाव कर्मी संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शालीनता का व्यवहार करेंगे। यदि रखरखाव कर्मियों के व्यवहार के बारे में निदेशक अथवा सम्पत्ति अधिकारी को किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो ठेकेदार को ऐसे रखरखाव कर्मियों को कार्य से 24 घंटे के अन्दर अलग करना होगा एवं उसके स्थान पर दूसरे रखरखाव कर्मियों की ड्यूटी लगानी होगी।

(vii) ठेकेदार द्वारा लगाये गये रखरखाव कर्मियों को कार्य के दौरान अथवा कार्य के बाद यदि किसी प्रकार की दुर्घटना के कारण चोट पहुँचती है/आकस्मिक निधन होता है एवं श्रम नियमों के अनुरूप यदि रखरखाव कर्मियों को किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाना है तो यह जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी। संस्थान, ठेकेदार द्वारा इस प्रकार किये गये किसी भी व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं करेगा।

(viii) ठेकेदार अपने रखरखाव कर्मियों में से किसी एक को अपने प्रतिनिधि के रूप में नामांकित करेगा जो कि कार्य स्थल पर उपस्थित रहकर ठेकेदार को दिये जाने वाले नोटिस, स्मरण-पत्र, निर्देश आदि प्राप्त करेगा तथा सम्पत्ति अधिकारी के सतत् सम्पर्क में रहेगा जिससे कि ठेके का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा सके।

(ix) सफल निविदाकार को लगाये गये सभी रखरखाव कर्मियों को **प्रतिमाह** नियमानुसार भुगतान **(केवल बैंक के माध्यम से - चेक, NEFT/RTGS इत्यादि)** करके, भुगतान का विवरण निर्धारित प्रपत्र में इस संस्थान में प्रस्तुत करना होगा।

(x) सफल निविदाकार को लगाये गये सभी रखरखाव कर्मियों को सुरक्षा के सभी उपकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(xi) सफल निविदाकार को लगाये गये सभी रखरखाव कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन **दो माह के अन्दर** करवाकर देना होगा।

(**xii**) *सफल निविदाकार को लगाये गये सभी रखरखाव कर्मियों का शासन के नियमानुसार* EPF, ESI *तथा* GST (*प्रचलित दर के अनुसार*) *संबंधित विभागों में प्रतिमाह जमा करवाकर उसकी एक प्रति संस्थान को देना होगा।*

(**xiii**) *ठेकेदार द्वारा रखे गये रखरखाव कर्मियों के बीच किसी भी प्रकार का असंतोष/विवाद/*लेबर कमिश्नर/लेबर कोर्ट इत्यादि *की स्थिति को ठेकेदार द्वारा ही सुलझाया जायेगा। संस्थान की किसी भी तरह से कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।*

(**xiv**) ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि, उनके द्वारा काम पर लगाये हुए कर्मी की पिछले माह की मजदूरी/वेतन माह समाप्ति के 7वें दिन या उससे पूर्व कोई राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से उनकी ओर से पहले भुगतान किया गया हो संस्थान में उस महीने का बिल जमा करने से पहले (अदायगी हेतु) । संस्थान ठेकेदार के खिलाफ उनके तैनात कर्मियों को मजदूरी के देर से संवितरण पर आवश्यक कार्रवाई कर सकती है । सेवा प्रदाता पर 500/- रुपये प्रति दिन का जुर्माना लगाया जा सकता है यदि उनके तैनात कर्मियों को वेतन अगले महीने के 7वें दिन के बाद वितरित किया जाता है। **ठेकेदार को दो माह तक संस्थान से भुगतान मांगे बिना उक्त कर्मियों की मजदूरी/वेतन देने के लिए अपने पास पर्याप्त चल निधि रखनी चाहिए।**

(**xv**) सभी श्रमिकों को माह में किये गए कार्य दिवसों के आधार पर वेतन देय होगा (अर्थात् एक श्रमिक द्वारा एक माह में किये गये कार्य के वास्तविक दिन) । श्रमिकों को गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर उनकी ड्यूटी के लिए नियमानुसार वेतन दिया जाएगा।

(**xvi**) दूसरे पक्षकार को कुशल, अर्ध कुशल और अकुशल विद्युत श्रमिक के कार्य के अनुभव का विस्तृत विवरण देना होगा। बार–बार कुशल, अर्ध कुशल और अकुशल विद्युत श्रमिक को बदले जाने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि निरीक्षण प्राधिकारी ऐसा करने की इजाजत देता हो। अगर कुशल, अर्ध कुशल और अकुशल विद्युत श्रमिक की एवज़ में किसी अन्य को मुहैया कराया जाता है तो इसका पर्याप्त कारण दर्शाते हुए कार्यालय को सूचित करना होगा।

(14) **कार्य का विस्तृत विवरण :**

(**a**) ***विद्युत सब स्टेशन का चालन एवं रख-रखाव :*** *ठेकेदार, विद्युत सब स्टेशन में स्थापित सभी उपकरणों की साफ-सफाई तथा सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। खासतौर से ऐसे उपकरण जो कि पूरी तरह से ठेकेदार की जिम्मेदारी तथा ठेकेदार द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।* ***संस्थान परिसर में स्थित 33 के.व्ही. लाईन /केबल में किसी प्रकार की खराबी आने पर ठेकेदार द्वारा शीघ्र निराकरण व मरम्मत कार्य करना होगा, इसमें लगने वाली सामग्री जैसे केवल, वायर व ज्वाइंट किट आदि संस्थान द्वारा प्रदाय की जावेगी । टूल ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर लाने होंगे।*** *ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि इलेक्ट्रिक पेनल के इलेक्ट्रोड्स आदि की साफ-सफाई रखे तथा सभी उपकरणों के नट-बोल्ट आदि टाईट रखे। फ्यूज वायर, रोजमर्रा के रख-रखाव हेतु आवश्यक आईल तथा ग्रीस, कील, नट-बोल्ट, स्क्रू , वासर आदि को छोड़ कर सभी सामग्री संस्थान द्वारा प्रदाय की जायेगी*

। रोजमर्रा के रख-रखाव हेतु आवश्यक उपकरण/टूल किट, सीढ़ी एवं इसके अलावा मेगर 500V टूल, D O रॉड, डिस्चार्ज रॉड 440V - 33KV के लिए उपयुक्त इत्यादि उपकरण/टूल ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर ही रखी जावेगी । सभी सब स्टेशनों तथा जनरेटर स्थलों एवं उसके आस-पास की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा हर तीन माह में यह कार्य कराना होगा अन्यथा 5000/- रूपये की पेनाल्टी ठेकेदार से वसूली जाएगी ।

(b) स्ट्रीट एवं केम्पस लाईट का चालन एवं रख-रखाव : ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि संस्थान परिसर अन्तर्गत सभी स्ट्रीट लाईट, केम्पस लाईट चालू हालत में रहें । आश्यकता पड़ने पर ठेकेदार द्वारा केबल वायर, तार, बल्व, चोक, स्टार्टर आदि बदले जायेंगे । इस कार्य हेतु फ्यूज वायर, आईल एवं ग्रीस, कील, नट-बोल्ट, स्क्रू, वासर आदि को छोड़कर समस्त सामग्री संस्थान द्वारा प्रदाय की जावेगी । रोजमर्रा के रख-रखाव हेतु आवश्यक उपकरण/टूल किट ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर ही रखी जावेगी ।

(c) आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों की विद्युत लाईन एवं सामग्री का रख-रखाव : इस कार्य अन्तर्गत ठेकेदार को आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों की विद्युत लाईन, सभी विद्युत प्वाईट, पावर प्वाईट तथा उनमें लगे विद्युत सामग्री - पंखों, रेग्युलेटर, बल्व, ट्यूब लाईट, एग्जास्ट फेन आदि चालू हालत में रखने होंगे एवं आवश्यकता पड़ने पर लाईन बदलना, पंखे, ट्यूब लाईट आदि को बदलने एवं उनका रोजमर्रा का रख-रखाव का कार्य जिसमें पंखे, एग्जास्ट फेन आदि की आईलिंग एवं ग्रीसिंग बुश बियरिंग आदि बदलने का कार्य भी शामिल है, करना पड़ेगा । **संस्थान में आवश्यकतानुसार नये पाइंटों की वायरिंग करना व लगाने का कार्य भी ठेकेदार को करना होगा, इसके लिये सामग्री संस्थान द्वारा प्रदाय की जावेगी ।** फ्यूज वायर, आईल एवं ग्रीस, कील, नट-बोल्ट, स्क्रू , वासर आदि को छोड़कर जो भी सामग्री लगेगी वह संस्थान द्वारा प्रदाय की जायेगी । पंखे की वाईडिंग जलने पर यह कार्य संस्थान द्वारा अलग से कराया जावेगा । इसी प्रकार विद्युत मीटर की रोजमर्या की मरम्मत का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जायेगा । विशेष मरम्मत संस्थान द्वारा अलग से कराया जावेगा । ठैकेदार को आवासीय/गैरआवासीय भवनों की मासिक रीडिंग करनी होगी । रोजमर्रा के रख-रखाव हेतु आवश्यक उपकरण/टूल किट ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर ही रखी जावेगी ।

(d) डीजल जनरेटर सेट का चालन एवं रख-रखाव : इस कार्य अन्तर्गत ठेकेदार को विद्युत व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होने पर निदेशक अथवा सम्पत्ति अधिकारी के निर्देश पर जनरेटर सेट चलाकर विद्युत प्रदाय करना होगा । साल में एक बार जनरेटर सेट की सम्पूर्ण सर्विसिंग ठेकेदार द्वारा की जाएगी । जनरेटर के खराब होने की स्थिति में उसकी रिपेयरिंग ठेकेदार द्वारा की जाएगी। जनरेटर सेट हेतु डीजल एवं रिपेयरिंग हेतु स्पेयर पार्ट्स तथा आयल संस्थान द्वारा प्रदाय किया जायेगा । लेकिन सर्विस चार्ज / रिपेयरिंग चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, लेबर चार्ज एवं अन्य चार्ज ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। यह कार्य अतिशीघ्र कराया जायेगा। अनावश्यक विलंब करने पर ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। ठेकेदार जनरेटर के रोजमर्रा के रख-रखाव और आयलिंग, ग्रीसिंग आदि के लिए भी जिम्मेदार होंगे ।

(e) भूमिगत केबल में किसी भी प्रकार की खराबी का पता लगाना (केबल फॉल्ट डिटेक्टर या किसी अन्य विधि की सहायता से) तथा आवश्यक स्थान पर खुदाई करवाकर केबल ठीक करवाने की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार होगी। यह कार्य अतिशीघ्र कराया जायेगा। अनावश्यक विलंब करने पर ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(f) ट्रांसफार्मर की समस्त प्रकार की रिपेयरिंग व नियमित मेंटेनेंस का कार्य ठेकेदार द्वारा कराया जायेगा। ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग हेतु इसमें लगने वाली आवश्यक सामग्री संस्थान द्वारा प्रदाय किया

जायेगा। सर्विस चार्ज / रिपेयरिंग चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, लेबर चार्ज एवं अन्य चार्ज ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। यह कार्य अतिशीघ्र कराया जायेगा। अनावश्यक विलंब करने पर ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(g) निविदा शर्तों में उल्लेखित कार्य यदि ठेकेदार नहीं करता है तो संस्थान उक्त कार्य अपने स्तर पर करा लेगा तथा उसमें आयी समस्त लागत ठेकेदार के मासिक बिल या जमा सुरक्षा निधि से काट लिया जायेगा। साथ ही कुल लागत पर 10% पेनाल्टी लगाई जाएगी। इस सम्बन्ध में निदेशक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(15) **भण्डार सामग्री एवं पार्ट्स :**

रोजमर्रा के रख-रखाव हेतु कंडिका (14) में उल्लेखित सामग्री को छोड़कर अन्य भण्डार सामग्री एवं पार्ट्स, फिटिंग्स आदि संस्थान द्वारा प्रदाय किये जायेंगे। परन्तु, इन सामग्री, पार्ट्स हेतु ठेकेदार द्वारा सम्पत्ति अधिकारी को लिखित में सामग्री एवं पार्ट्स के पूर्ण विवरण सहित सूचना देनी होगी।

(16) **शिकायतों का निराकरण :**

आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों की विद्युत शिकायतों हेतु एक रजिस्टर रखा जावेगा जिसमे कि रहवासियों/कार्यालयीन कर्मचारियों द्वारा शिकायतें दर्ज की जावेगी। ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि रोजमर्रा की सभी शिकायतों को **छः घंटे** के अंदर ठीक किया जावे एवं इस कार्य हेतु पर्याप्त रखरखाव कर्मी रखे जावे। यदि ठेकेदार द्वारा शिकायतों को ठीक करने में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है तो इसको ठेके का उल्लंघन माना जावेगा एवं उक्त कार्य ठेकेदार के व्यय पर करा लिया जावेगा। साथ ही प्रत्येक ऐसे कराये गये कार्य के लिए, कार्य के महत्व के अनुरूप जुर्माना किया जावेगा जो कि रू.2,000/- प्रति प्रकरण तक हो सकती है। उक्त व्यय एवं जुर्माने की राशि ठेकेदार के मासिक देयक से काटी जायेगी। इस संबंध में निदेशक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

(17) **उपकरणों आदि को नुकसान पहुँचाना :**

(i) ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह ठेका समाप्ति के उपरान्त सभी उपकरण आदि चालू एवं अच्छी हालत में संस्थान को सौंपेंगे। ऐसे उपकरण जो कि चालन एवं रख-रखाव हेतु ठेकेदार को सौंपे गये हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी।

(ii) स्थापित उपकरणों को ठेकेदार की लापरवाही से यदि किसी प्रकार का नुकसान पहुँचता है तो उपकरण की मरम्मत ठेकेदार को अपने व्यय पर करनी होगी। यदि ठेकेदार द्वारा उक्त मरम्मत कार्य नहीं किया जाता है तो संस्थान द्वारा उक्त कार्य करा लिया जायेगा एवं कार्य पर किया गया व्यय ठेकेदार के मासिक बिल की राशि से काटा जायेगा। साथ ही प्रत्येक ऐसे प्रकरण में रू. 2,000/- का जुर्माना भी किया जायेगा।

(iii) यदि ठेकेदार की लापरवाही से हुआ व्यय मासिक देयक से ज्यादा है तो अतिरिक्त राशि ठेकेदार की परफार्मेन्स सिक्योरिटी से काटी जावेगी। यदि ठेकेदार की लापरवाही से हुआ व्यय परफार्मेन्स सिक्यूरिटी से भी ज्यादा है तो उक्त व्यय ठेकेदार से बतौर बकाया भू-राजस्व (Arrears of land revenue) वसूल किया जावेगा।

(18) **एम.पी.ई.बी. से सामन्जस्य :** किसी प्रकार के मरम्मत कार्य हेतु एच.टी. लाईन को बन्द करने हेतु एम. पी.ई.बी. से सम्पर्क करने की जिम्मेदारी संस्थान की रहेगी।

(19) **लाईसेन्स फी एवं अन्य प्रभार :** एम.पी.ई.बी. को नियमों के अनुरूप देय लाईसेन्स फी एवं अन्य प्रभार की जिम्मेदारी संस्थान की रहेगी।

(20) निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से भरना अनिवार्य है।

(21) इस कॉन्ट्रैक्ट में GFR 2017 के नियम 225 के प्रावधान लागू होंगे।

(22) **न्यायालय का अधिकार क्षेत्र :** यदि इस अनुबन्ध के तहत किसी प्रकार का मतभेद अथवा विवाद उत्पन्न होता है तो इससे संबंधित वाद जबलपुर स्थित सक्षम न्यायालय में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।

दिनांक : (निविदाकार के हस्ताक्षर)

स्थान :

निविदाकार का नाम : ....

पूरा पता :......................................

<u>प्रमाण-पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा निविदा शर्त क्र. 1 से 22 तक का भलीभांति अध्ययन कर लिया गया है एवं उनको भलीभॉंति समझ लिया गया है एवं मैं उनका पालन करने हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

दिनांक : निविदाकार के हस्ताक्षर

स्थान :

निविदाकार का नाम :..........................

पूरा पता :..
....
....

गवाह -

(1) हस्ताक्षर :..

नाम : ....

पूरा पता :...

....

फोन नं. :...

अनुलग्नक I/ Annexure I

<u>शपथ पत्र</u>

(बोलीदाता को रु 500/- या अधिक के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत हलफनामा निदेशक, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

मैं ____इस बात की पुष्टि करता हूं कि मैंने टीएफआरआई, जबलपुर में "**33/0.433 के.व्ही. के दो विघुत सब स्टेशन के चालन एवं रख–रखाव कार्य, 100 के. व्ही. ए., 62.5 के. व्ही. ए. (दो नग) एव 26 के. व्ही. ए. डीजल जनरेटर के चालन एवं रख–रखाव कार्य, संस्थान परिसर अन्तर्गत एल.टी./एच.टी., ओ.एच.पॉवर लाईन, फीडर खम्भों तथा संस्थान के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में लगी विघुत सामग्री के रख–रखाव कार्य**" के लिए अपनी फर्म के संबंध में सेवा शुल्क के लिए वित्तीय बोली में व्यवहारिक राशि उद्धृत की है। मैं सहमत हूं कि TFRI प्राधिकरण मेरे द्वारा उद्धृत सेवा शुल्क की व्यावहारिकता तक पहुँचने के लिए मेरे द्वारा उद्धृत सेवा शुल्क के औचित्य के लिए कह सकता है। यदि TFRI प्राधिकरण को उद्धृत सेवा शुल्क अव्यावहारिक रूप से कम लगती हैं, तो मेरी बोली को गैर-जिम्मेदार माना जा सकता है और इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

मैं यह भी मानता हूं कि अनुबंध की अवधि के दौरान यदि यह टीएफआरआई प्राधिकरण द्वारा पाया जाता है कि मैं या मेरा फर्म कटौती करते हैं या हमारे लाभ मार्जिन के लिए लगे श्रमिकों से पैसे लेते हैं और मेरे या मेरे लिखित रूप में मेरे फर्म के खिलाफ श्रमिकों से शिकायतें प्राप्त होती हैं और सही पाया जाता है, तो मेरा अनुबंध रद्द किया जा सकता है और सुरक्षा जमा पूरी तरह से जब्त किया जा सकता है। साथ ही, मुझे या मेरी फर्म को ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है और टीएफआरआई अथॉरिटी उपरोक्त निविदा के लिए अनुबंध को अगली रैंकिंग बोलीदाता यानी एल 2 को दे सकती है या नई निविदा की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इस संबंध में निदेशक / टीएफआरआई प्राधिकरण, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर का निर्णय अंतिम और मेरे लिए बाध्यकारी होगा।

तिथि के साथ निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर------------------------------
पता---

साक्षी का नाम और हस्ताक्षर-------------------------------------
पता---

TENDER FORM

1. टेंडरिंग कंपनी/फर्म/एजेंसी/व्यक्ति का नाम/Name of Tendering Company/Firm/Agency/Individual:

   ____

2. फर्म के मालिक / भागीदारों का नाम) Name of firm proprietor/partners): -----------------------

   ----

   ____

3. कंपनी / फर्म / एजेंसी / व्यक्ति के कार्यालय का पूरा पता /Full Address of Office of the Company/ Firm / Agency/Individual:

   ____

   ____

   ____

   ____

   a. Telephone/Mobile No:
   b. FAX No (if any):
   c. E-Mail Address :

4. कंपनी / फर्म / एजेंसी / व्यक्ति का पैन नंबर PAN No. of the Company / Firm / Agency / Individual:____

   ________________________ (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें) (Attach self attested copy)

5. गुड्स सर्विस टैक्स (GST) पंजीकरण संख्या /Goods Service Tax (GST) Registration No. :-

   ____

   (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें) /(Attach self attested copy)

6. पिछले तीन निर्धारण वर्ष के लिए आयकर रिटर्न की फोटोकॉपी (वर्ष का उल्लेख करें)/Photocopy of income tax return for the last three assessment years (Mention the year) :____ (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें) /(Attach self attested copy)

7. क्या मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अनुसार बोलीदाता का स्थानीय कार्यालय जबलपुर में है/Whether bidder has local office at Jabalpur as per Madhya Pradesh Shops and Establishment Act 1958. :_______ (हां / नहीं) (इसके समर्थन में स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)/(Yes/No) (Attach self attested copy in support of it)

8. प्रतिभूति राशि का विवरण/Details of Earnest Money: Rs.________________ (DD/FDR/TDR) नं./No.________________तारीख Date/ ________________ बैंक में देय/drawn on Bank__________________________________ निदेशक, उ.व.अ.सं., जबलपुर के पक्ष में/in favor of Director, TFRI, Jabalpur. (या स्वप्रमाणित छूट दस्तावेज संलग्न करें/ Or attach self attested Exemption document).

9. क्या निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर और मुहर लगी है: (हां / नहीं)/Whether each page of tender document has been signed and stamped:____.(Yes/No)

10. पंजीकरण का विवरण/Details of Registration:
विभाग का नाम, जहां ठेकेदार / फर्म के रूप में पंजीकृत है /Name of Department, where registered as contractor/firm ________________________पंजीकरण संख्या /Registration Number ____________________
पंजीकरण की समाप्ति तिथि /Expiry date of Registration____

11. बिडर का बैंक, उसका पता और बैंक खाता संख्या /Bidder's Bank, its address and Bank account no:

____

____

____

____

मैं / हम इस बात की घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सही और सच्ची है /I/We hereby declare that the information furnished above is true and correct.

Place/स्थान :

फर्म की सील के साथ बोलीदाता / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर /Signature of Bidder/Authorized Signatory with seal of the firm

Date/दिनांक :

निविदाकर्ता का नाम/Name of the Bidder: _______________

F.No.1/27(3)/2024-LS-II
Government of India
Ministry of Labour& Employment
Office of the Chief Labour Commissioner(C)
New Delhi

Dated: 25/09/2024

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 188(E) dated **19th January, 2017** of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 402.09 from 399.70 as on 30.06.2024 (Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 2.40 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2024;-

The rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in **CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS OR RUNWAYS OR IN BUILDING OPERATIONS INCLUDING LAYING DOWN UNDERGROUND ELECTRIC, WIRELESS, RADIO, TELEVISION, TELEPHONE,TELEGRAPH AND OVERSEAS COMMUNICATION CABLES AND SIMILAR OTHER UNDERGROUND CABLING WORK, ELECTRIC LINES, WATER SUPPLY LINES AND SEWERAGE PIPE LINES**.

Category of worker	Rates of V.D.A. Area wise per day (in Rupees)		
	A	B	C
Unskilled	260	218	176
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	289	245	204
Skilled/Clerical	317	289	245
Highly Skilled	342	317	289

Therefore the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.10.2024 will be as under :-

Category of worker	Rates of wages including V.D.A. per day (in Rupees)		
	A Area	B Area	C Area
Unskilled	523+260=783	437+218=655	350+176=526
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	579+289=868	494+245=739	410+204=614
Skilled/ Clerical	637+317=954	579+289=868	494+245=739
Highly Skilled	693+342=1035	637+317=954	579+289=868

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.

Onkar Sharma

(Dr. Onkar Sharma)
Chief Labour Commissioner(C)

उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान
ICFRE-TROPICAL FOREST RESEARCH INSTITUTE
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्
Indian Council of Forestry Research & Education
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद्)
(An autonomous Council under the Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India)
डाकघर : आर.एफ.आर.सी., मण्डला रोड, जबलपुर — 482 021
P.O. – R.F.R.C., Mandla Road, Jabalpur – 482 021.
Phone no. 0761 2840483, Fax. - 0761 – 2840484,
Email: dir_tfri@icfre.org

निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदा-पत्र

संस्थान अन्तर्गत कुल ग्यारह स्थानों पर लगे मोनोब्लाक, सबमर्सिबल पम्प आदि, जिनके द्वारा आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों को पानी प्रदाय किया जाता है, के चालन, मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य।

GeM के माध्यम से

E-TENDER DOCUMENT

FOR

OPERATION AND MAINTENANCE OF WATER SUPPLY SYSTEMS

THROUGH GeM

ई-निविदा सूचना सं.: जलापूर्ति/2024

E-TENDER NOTICE No.: Water Supply/2024

उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान
ICFRE-TROPICAL FOREST RESEARCH INSTITUTE
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्
Indian Council of Forestry Research & Education
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद)
(An autonomous Council under the Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India)
डाकघर : आर.एफ.आर.सी., मण्डला रोड, जबलपुर – 482 021
P.O. – R.F.R.C., Mandla Road, Jabalpur – 482 021.
Phone no. 0761 2840483, Fax. - 0761 – 2840484,
Email: dir_tfri@icfre.org

F.No. 121-(D)/Water Supply/Estate/TFRI/JBP/

Dated: 14/11/2024

ई-निविदा-आमंत्रण-सूचना /Notice Inviting e-Tender (GeM)

उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा उ.व.अ.सं.जबलपुर में **"संस्थान अन्तर्गत कुल ग्यारह स्थानों पर लगे मोनोब्लाक, सबमर्सिबल पम्प आदि, जिनके द्वारा आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों को पानी प्रदाय किया जाता है, के चालन, मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य।"** के लिए दो बोली प्रणाली अर्थात् प्राविधिक बोली एवं वित्तीय बोली लगाने हेतु निविदाकर्ताओं से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

E-tender is invited by Tropical Forest Research Institute, Jabalpur in Two bid system i.e. Technical bid and Financial bid for **"संस्थान अन्तर्गत कुल ग्यारह स्थानों पर लगे मोनोब्लाक, सबमर्सिबल पम्प आदि, जिनके द्वारा आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों को पानी प्रदाय किया जाता है, के चालन, मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य।"** at TFRI, Jabalpur

निविदा-सूची /Schedule of Tender		
क्र.सं. S No.	क्रिया विवरण Activity Description	सूची /Schedule
1.	निविदा क्रं/Tender No.	जलापूर्ति/2024 /Water Supply/2024
2.	बोली (बिड्) GeM पोर्टल में पस्तुत करने की प्रारंभ तिथि Start date of submission of bid in GeM portal	14-11-2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे। निविदा दस्तावेज केवल GeM पोर्टल (https://gem.gov.in) पर उपलब्ध है जिसे बोली लगाने वाले निविदाकर्ता के प्रत्यायक का उपयोग करते हुए लॉगइन कर डाउनलोड किया जा सकता है। 14-11-2024 at 11:00 hrs. The tender document is available only in the GeM portal (https://gem.gov.in) which may be downloaded by using bidder login credentials.
3.	बोली (बिड्) खोलने की तिथि के पूर्व आयोजित की जाने वाली बैठक की समय-सारणी	22-11-2024 को अपराह्न 3.00 बजे से 4.00 बजे तक / 22-11-2024 from 15:00 hrs to 16:00 hrs. (बैठक आयोजित करने का स्थानः टी.एफ.आर.आई., जबलपुर के

	Pre-bid meeting schedule	प्रशासनिक भवन के भूतल स्थित सम्मेलन-कक्ष । संपर्क पदाधिकारीः सम्पत्ति अनुभाग प्रभारी । (Venue: Conference Hall, Administrative Building, Ground Floor, TFRI, JBP. Contact person: Estate Section Incharge)
4.	बोली (बिड्) ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय/ Time and last date of submitting bid online	29-11-2024 पूर्वाह्न 11.00 बजे /29-11-2024 at 11.00 hrs
5.	प्राविधिक बोली (बिड्) खोलने की तिथि एवं समय Time and Date of Opening of Technical Bid.	29-11-2024 पूर्वाह्न 11.15 बजे /29-11-2024 at 11.15 hrs
6.	वित्तीय बोली (बिड्) खोलने की तिथि एवं समय Time and Date of Opening of Financial Bid	प्राविधिक बोली (बिड्) मूल्यांकन परख के पश्चात विनिश्चय किया जावेगा । It will be decided after Technical bid evaluation.
7.	संभावित ठेके की अवधि /Tentative Contract Period	01-01-2025 से 31-12-2025/01-01-2025 to 31-12-2025
8.	जमा की जानेवाली प्रतिभूति राशि (यदि विधिमान्य प्रमाण-पत्र है अर्थात् एमएसएमई, स्टार्टअप इत्यादि है तो, प्रतिभूति राशि जमा करने की छूट-प्राप्त होगी)। Amount of EMD to be deposited (Exempted if have valid certificate viz. MSME, Startup etc.)	रु. 37,800/- (सैंतीस हजार आठ सौ रुपये मात्र) Rs. 37,800/- (Rupees thirty seven thousand eight hundred only)
9.	निविदा लागत	रुपए 7,56,000/- लगभग

I. निविदा दस्तावेजों को दिये हुए समयावधि में GeM portal (https://gem.gov.in) के वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है । The tender documents can be downloaded from the website of GeM portal (https://gem.gov.in) in the given time period.

II. इच्छुक एवं पात्र बोली लगाने वाले (बिडर्स) अपने निविदा-पत्र विहित प्रपत्र में GeM portal (https://gem.gov.in) पर ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें। बोली लगाने वाले (बिडर्स) को यह अनिवार्य है कि, निवदा-प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा जावे। इच्छुक निविदाकर्ता, कृपया निविदा-प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पूर्व कोई शुद्धि-पत्र/परिशिष्ट/संशोधन जारी होने की जानकारी प्राप्त करने हेतु GeM portal (https://gem.gov.in) वेबसाइट के संपर्क में रहें। The interested and eligible bidders submit the tenders online only at GeM portal (https://gem.gov.in) in the prescribed proforma. It is mandatory for the bidder to fill the tender form completely. Intending tenderers are advised to visit the web site of GeM portal (https://gem.gov.in) frequently prior to closing date of submission of tender for any corrigendum/addendum/amendment.

III. इच्छुक बोलीदाता (बिडर्स) निविदा दस्तावेज के अनुसार GeM portal (https://gem.gov.in) पर अपना भाव/दर ऑनलाइन जमा करें। निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि निविदा दस्तावेज और उपरोक्त वेबसाइट में दिए गए निर्देशों के अनुसार निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें। पात्रता मानदंड आदि के समर्थन में सभी दस्तावेजों/प्रमाण पत्र को स्कैन कर और निविदा दस्तावेज के साथ अपलोड किया जाना है। बोली की निर्धारित तिथि और समय की समाप्ति के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई दस्तावेज़/प्रमाणपत्र (ऑनलाइन/ऑफ़लाइन) स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस निविदा के संबंध में कोई भी शुद्धि-पत्र / परिशिष्ट केवल उपरोक्त वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगा।

Interested bidders should submit their quotation online on GeM portal (https://gem.gov.in) as per the tender document. Bidders are requested to follow the instructions carefully as per the tender document and the instructions given in the above said website. All the documents/certificates in support of eligibility criteria etc. are also to be scanned and uploaded along with the tender document. No documents/certificates (online/offline) will be accepted after the expiry of stipulated date and time of Bid under any circumstances what so ever. **Any corrigendum/addendum regarding this tender will be available on the above said website only.**

IV. इंडेक्स के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों में पेज नंबर होने चाहिए। निविदा के अनुसार वांछित दस्तावेज ही संलग्न करें। अवांछित और दोहराये गए दस्तावेज़ संलग्न न करें।

There should be page numbers in the documents uploaded along with the **index**. Attach only the desired documents according to the tender. Do not attach unsolicited and replicated documents.

V. बोलीकर्ता (बिडर्स) राष्ट्रीयकृत बैंक से रु. 37,800/- (सैंतीस हजार आठ सौ रुपये मात्र) डिमांड ड्राफ्ट / फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद / टर्म डिपॉजिट रसीद (डीडी / एफडीआर / टीडीआर) निविदा की धरोहर बयाना (ईएमडी) के रूप में, निदेशक, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के पक्ष में आहरित ईएमडी इस कार्यालय में बोलियां खोलने से पहले (डीडी / एफडीआर / टीडीआर की स्कैन की गई प्रति) ऑनलाइन अपलोड की जानी चाहिए । फर्मों/एजेंसियों/सोसाइटियों/व्यक्तियों आदि को सरकार के नियमों के अनुसार ईएमडी जमा करने से छूट दी जाएगी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (अर्थात एमएसएमई इत्यादि) प्रस्तुत करने पर । बोलीकर्ताओं / निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि, यदि वे डीडी जमा कर रहे हैं तो, डीडी के पीछे स्पष्ट रुप से अपना नाम और पूरा पता अवश्य लिखें ।

The applicant has to deposit Earnest Money (EMD) of Rs. 37,800/-(Rupees thirty seven thousand eight hundred only) in the form of a Demand Draft/Fixed Deposit Receipt/Term Deposit Receipt (DD/FDR/TDR) from Nationalized Bank drawn in favor of Director, Tropical Forest Research Institute, Jabalpur and it has to be submitted before opening of bids to this office (Scanned copy of DD/FDR/TDR to be uploaded online) towards EMD. **Firms/agencies/societies/individuals etc. will be exempted from submitting EMD as per Govt. norms subject to submission of the valid registration certificate (viz. MSME etc.). Bidders are requested to write their name and full address at the back of DD if they are submitting DD.**

VI. ईएमडी राशि की डीडी / एफडीआर / टीडीआर निविदा आमंत्रित प्राधिकारी अर्थात, निदेशक, भा.व.अ.शि.प.-उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के समक्ष निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व केवल डाक द्वारा प्रस्तुत करना होगा।

The aforesaid DD/FDR/TDR towards cost for EMD should be submitted to the tender inviting authority i.e., Director, TFRI, Jabalpur by post only within the last date of online submission of bid.

VII. उपरोक्त पोर्टल में ईएमडी (डीडी/एफडीआर/टीडीआर) यदि लागू हो या एमएसएमई इत्यादि प्रमाण-पत्र के साथ की स्कैन की हुई प्रतिलिपि संलग्न नहीं की जाने की स्थिति में, निविदा दस्तावेज (निविदा प्रपत्र) स्वीकार नहीं किए जावेगें ।

The duly filled-in tender documents (tender form) shall not be accepted if they are not accompanied by the scanned copy of the DD/FDR/TDR towards the EMD if applicable or MSME etc. certificate in the above portal.

VIII. प्रावधिक बोली (Technical Bid) को इस कार्यालय की निविदा खोलने की समिति द्वारा निर्धारित तिथि पर ऑनलाइन खोला जाएगा । पहले चरण में, कार्यालय में गठित निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी) द्वारा तकनिकी बोली का मूल्यांकन किया जावेगा । दूसरे चरण में केवल तकनीकी बोली में अर्हता प्राप्त करने वाले बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली (Financial Bid) खोली जाएगी, जिसके लिए जीईएम पोर्टल पर तारीख और समय की सूचना दी जाएगी। निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी), वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन के बाद सफल फर्म/एजेंसी को कार्य सौंपने के लिए अपनी विशिष्ट सिफारिश देगी। नए स्टार्टअप के लिए अनुभव और टर्नओवर लागू नहीं है। वित्तीय बोली में यदि एक से अधिक बोलीदाता एल1 आते हैं तो टीईसी/निदेशक नियमानुसार निर्णय लेंगे। इस संबंध में किसी भी प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया जाएगा।

The Technical Bids will be opened online on scheduled date by a Tender Opening Committee of this Office. At the first stage the technical bids shall be evaluated by the Tender Evaluation committee (TEC) constituted for the purpose by the office. At the second stage, the Financial Bids of only those bidders who qualify in the technical bid will be opened for which the date and time will be intimated on GeM portal. The Tender Evaluation Committee (TEC), after evaluation of the Financial Bids will give its specific recommendation for award of work to the successful firm/agency. Experience and turnover is not applicable for fresh startups. In financial bids if more than one bidder comes out with L1 then TEC/Director will take decision as per rules. In this regard, no representation will be entertained.

IX. यह कार्यालय निविदा दस्तावेज में सम्मिलित किसी भी नियम और शर्तों को संशोधित करने या वापस लेने का अधिकार रखता है या बिना कोई नोटिस दिए या बिना कोई कारण बताए किसी भी / सभी निविदाओं को आंशिक / पूर्ण रूप से स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार रखता है । इस संबंध में निदेशक, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर का निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा ।

This Office reserves the right to amend or withdraw any of the terms and conditions contained in the Tender Document or to accept/reject any/all tenders in part /full without giving any notice or assigning any reason thereof. The decision

of the Director, Tropical Forest Research Institute, Jabalpur in this regard shall be final and binding on all.

X. बोलीदाता द्वारा बिड् के सभी दस्तावेजों निर्देशों, प्रपत्रों, विनिर्देशों, नियमों और शर्तों की जांच करना अपेक्षित है । बोली दस्तावेजों के अनुसार आवश्यक सभी सूचनाओं और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल रहने या बिड् पर्याप्त रूप से प्रस्तुत नहीं करने या बोली को हर लिहाज से बोली दस्तावेजों के लिए पर्याप्त रूप से उत्तरदायी नहीं रहना बोलीदाता के जोखिम पर होगा और बोली को अस्वीकार कर दिया जावेगा । इस दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ को मुहर / मुहर के साथ विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और तदनुसार अपलोड किया जाना चाहिए ।

The Bidder is expected to examine all instructions, forms, specifications, terms and conditions in the Bid Documents. Failure to furnish all information and documents required as per the Bid Documents or submission of bids not substantially responsive to the Bid Documents in every respect will be at the Bidder's risk and shall result in rejection of the bid. Each and every page of this document must be duly signed along with the seal/stamp and uploaded accordingly.

XI. निदेशक, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर स्वविवेक से, यदि आवश्यक हुआ तो, निविदा की समापन तिथि बढ़ा सकते हैं जो कि निविदाकर्ता पर बाध्यकारी होंगे । इस निविदा के संबंध में यदि कोई परिवर्तन/शुद्धिपत्र/बिड खोलने की तिथि का विस्तार यदि कोई हो, तो केवल वेबसाइट के माध्यम से जारी किया जाएगा और इस संबंध में कोई प्रेस अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी । इसलिए बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे निविदा से संबधित अद्यतीकरन (अपडेट) की जानकारी प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से संबंधित वेबसाइट के संपर्क में रहें ।

Director, Tropical Forest Research Institute, Jabalpur at discretion may extend closing date if required and such extension shall be binding on Tenderers. Any changes/corrigendum/ extension of opening date if any, in respect of this tender shall be issued through above website only and no press notification will be issued in this regard. Bidders are therefore requested to regularly visit the concerned website for updates.

XII. उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर (टीएफआरआई) नामांकन / बोलीकर्ता के रूप में पंजीकरण या प्रस्तुतिकरण एवं ई-पोर्टल पर कार्य प्रस्ताव में किसी भी देरी के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा । यदि निविदाएं खोलने के दिन सरकार द्वारा कोई अवकाश घोषित किया जाता है तो, निविदाएं अगले कार्य-दिवस पर पूर्व में तय समय पर खोली जावेगी ।

Tropical Forest Research Institute, Jabalpur (TFRI) will not be responsible for any delay in enrollment/registration as bidder or submitting/uploading the offer on e-

tender portal. In case any holiday is declared by the Govt. on the day of opening the tenders will be opened on the next working day at the same time.

XIII. अनजाने में निविदा दस्तावेज़ में किसी भी चूक या लिपिकीय गलती की सुधार चाहिए और बाद की तारीख में सुधार और समायोजन के अधीन होना चाहिए और फर्म ऐसी किसी भी गलती से किसी भी अनुचित लाभ को प्राप्त नहीं करेगा।

Any oversight or clerical mistake crept in inadvertently in the tender document should be subject to correction and adjustment at a later date and the firm shall not draw any undue advantage whatsoever out of any such mistake.

निदेशक /Director,

भा.व.अ.शि.प.-उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर/

Tropical Forest Research Institute, Jabalpur

कार्य का विवरण

1. **कार्य का नाम :** संस्थान अन्तर्गत कुल ग्यारह स्थानों पर लगे मोनोब्लाक, सबमर्सिबल पम्प आदि, जिनके द्वारा आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों को पानी प्रदाय किया जाता है, के चालन, मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य।
2. **कार्य का विस्तृत विवरण :** उपरोक्त कार्य में संस्थान परिसर अन्तर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में संस्थान द्वारा तय किये गये समय-सारणी अनुसार महिने के सभी दिनों में पानी प्रदाय करने हेतु निम्नलिखित स्थानों पर लगे पम्प के चालन, रख-रखाव एवं मरम्मत का कार्य :-

(i) **गौर नदी** - (अ) गौर नदी पर स्थापित एक 10 हार्स पावर एवं एक 20 हार्स पावर के मोनोब्लाक पम्प

(ब) फिल्टर प्लॉंट पर स्थापित 20 हार्स पावर के दो मोनोब्लाक पम्प।

(ii) **सिल्वीकल्चर नर्सरी** - नर्सरी के ट्यूबवेल में स्थापित 5 हार्स पावर का एक सबमर्सिबल पम्प।

(iii) **अकाष्ट वन उत्पाद प्रभाग नर्सरी** - नर्सरी के एक ट्यूबवेल में स्थापित 5 हार्स पावर के सबमर्सिबल पम्प।

(iv) **संस्थान के कार्यालय परिसर** -

(अ) नये प्रशासकीय भवन के पीछे (म्यूजियम के पास) ट्यूबवेल में स्थापित 5 हार्स पावर के सबमर्सिबल पम्प।

(ब) कार्यालय परिसर के पम्प हाउस में स्थापित 10 हार्स पावर के दो मोनोब्लाक पम्प।

(v) **कम्यूनिटी हाल** - कम्यूनिटी हाल परिसर के ट्यूबवेल में स्थापित 5 हार्स पावर का एक सबमर्सिबल पम्प।

(vi) **आवासीय परिसर** - (अ) नई कालोनी का गार्डन मे स्थित पम्प हाउस (सम्प वेल) में एक 4 एच.पी. एवं एक 10 एच.पी. सेमी सबमर्सिबल मोटर।

(vii) **संस्थान के रेस्ट हाउस में एक 5 एच.पी. सबमर्सिबल।**

(viii) **संस्थान परिसर में स्थित केन्द्रीय विघालय में स्थापित एक 5 एच.पी. सबमर्सिबल पम्प।**

(ix) **पुराना कार्यालय भवन के समीप एक** 2 एच.पी. **सबमर्सिबल।**

(x) **नये कार्यालय भवन के सामने स्थित फाउनटेन में** 10 **एच.पी. के दो ओपन वैल।**

(xi) 33 KV विद्युत सब स्टेशन के समीप स्थित नया बोरवेल में स्थापित 10 एच. पी. का किर्लोस्कर सबमर्सिबल पम्प।

मूल्यांकन / EVALUATION

बोलियों के मूल्यांकन में दो मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

Two evaluation procedure will be adopted in evaluating the bids:

(i) वित्तीय बोली खोलने से पहले आवश्यक प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों के आधार पर बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा। जो लोग तकनीकी मूल्यांकन में योग्य हैं, केवल उनकी वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी ।

A technical evaluation of the bids on the basis of the required certificates/ documents will be carried out prior to opening of the financial bid. Those who qualify in technical evaluation, only their financial bids will be opened.

(ii) संबंधित बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन के बाद, अंतिम रूप से योग्य बोलीदाता को टीईसी द्वारा एल1 घोषित किया जाएगा और उक्त अनुबंध के के लिए पात्र होगा।

A financial evaluation- After evaluation of financial bids of the relevant bidders, finally qualified bidder will be declared L1 by TEC and eligible for award of the said contract.

यदि कोई फर्म 'निल' या 0 % रखरखाव लागत / सेवा शुल्क / लाभ मार्जिन उद्धृत करता है, तो उसकी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। सेवा शुल्क 3.85% से कम नहीं होना चाहिए (3% लाभ और लेनदेन शुल्क जो वर्तमान में 0.85% है) अन्यथा निविदा खारिज कर दी जाएगी। सेवा शुल्क मासिक आधार पर होना चाहिए । बोली लगाने वाले को सेवा शुल्क के लिए व्यावहारिक राशि का उद्धरण करना चाहिए अन्यथा यह माना जाएगा कि बोली लगाने वाले अपने श्रमिकों के साथ भुगतान करने में निष्पक्ष नहीं हैं और इसलिए, उनके निविदाओं को स्वीकार करने पर विचार नहीं किया जा सकता है । वित्तीय बोली में, यदि कोई बोलीदाता अव्यावहारिक रूप से कम सेवा शुल्क लगाता है, तो बोलीदाता को गैर-जिम्मेदार माना जा सकता है और उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जा सकता है । संस्थान बोलीदाता द्वारा उद्धृत सेवा शुल्क की व्यावहारिकता जानने के लिए उद्धृत सेवा शुल्क के औचित्य अवगत कराने के लिए सूचित कर सकता है । सेवा शुल्क प्रतिशत (%) में होना चाहिए । सेवा शुल्क पूरे नंबर या दशमलव संख्या में उद्धृत किए जाने हैं, बल्कि अंश में नहीं ।

अनुबंध अवधि के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि, दूसरी पार्टी अपने लाभ के लिए अपने कर्मचारियों से कटौती या पैसा लेती हैं, और उनके खिलाफ श्रमिकों से शिकायतें प्राप्त होती है और यह सही पाया जाता है तो उनका अनुबंध रद्द होने के लिए वे उत्तरदायी होंगे और उनकी सुरक्षा जमा राशि पूरी तरह से या आंशिक रूप से जब्त करना पहली पार्टी के विवेक पर निर्भर रहता है । इसके अलावा, वह या उसकी फर्म ब्लैक लिस्टेड हो सकती है । इस संबंध में निदेशक, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर का निर्णय अंतिम और उस पर बाध्यकारी होगा। (बोलीदाता को रु 500 /- या अधिक) के गैर-

न्यायिक स्टाम्प पेपर जो अनुबंध-I में दिया गया है) पर नोटरीकृत हलफनामा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। If firm quotes 'Nil' or 0% maintenance cost/service charge/profit margin its tender will not be accepted. The service charge should not be less than 3.85% (3% profit plus transaction charges which are 0.85% at present) else tender will be rejected. Service charge should be on monthly basis. The bidder should quote practicable amount for service charge otherwise it will be deemed that bidder is not fair with their workers in disbursing payments and hence, their tenders may not be accepted. In the Financial bid, if a bidder quotes impracticably low service charges, the bid may be treated as unresponsive and will not be considered. The institute may ask for the justification of the service charges quoted by the bidder for accessing practicability of the quoted service charges. Service charge should be in percentage (%). The service charges are to be quoted in whole number or decimal number, not in fraction.

Further, during the contract period if second party deduct or take money from their workers for their profit and the complaints receive from the workers thereon against them and found correct then their contract is liable to be cancelled and its performance security deposit may be forfeited fully or partly depending upon the discretion of the first party. Also, he or his firm may be black listed. The decision of the Director, Tropical Forest Research Institute, Jabalpur in this regard shall be final and binding on him. (Bidder should submit Notarized affidavit in this regard as given in Annexure I on non- judicial stamp paper of Rs.500/- or more).

निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न कर एकल पीडीएफ दस्तावेज़ के रूप में (यदि पोर्टल अनुमति देता है तो) या पोर्टल के प्रासंगिक कॉलम में विधिवत हस्ताक्षरित और स्कैन के बाद क्रमवार अपलोड किया जाना है। इसके अलावा, प्रत्येक के सामने पृष्ठ संख्या भी अंकित करें। पृष्ठ संख्या अंकित नहीं करने पर यदि निविदा मूल्यांकन में कोई चूक होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होगी।

The following documents are to be enclosed and uploaded **serial wise** after duly signed and scanned **as single pdf document (if portal allows) or in relevant column of the portal**. Also, indicate the **page nos.** against each of it. If any mistake occurs in tender evaluation due to absence of page numbers, the bidder himself will be responsible for it.

सूची-I / LIST-I

अपलोड किए जाने वाले प्रमाणपत्र / दस्तावेज / Certificates/Documents to be uploaded	**पृष्ठ संख्या Page nos.**

a) भरे हुए निविदा प्रपत्र सहित पूरे निविदा दस्तावेज / Whole tender document including filled in tender form	
b) फर्म का अपना स्वयं का कार्यालय जबलपुर में होना चाहिए तथा इस संबंध में मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अनुसार वैध पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए । अन्यथा उक्त बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी। वैध प्रमाण पत्र अलग से संलग्न करें (तकनीकी मूल्यांकन के दौरान छँटाई प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पोर्टल द्वारा प्रदान किए गए विकल्प के रूप में 'Seller Uploaded Documents' श्रेणी के तहत 'Bid Documents' के 'Buyer Requirement' कॉलम "Registration Certificate for Geographical Presence as required by Buyer" के विरुद्ध अलग फ़ाइल में संलग्न करें)। यदि अलग फाइल में संबंधित कॉलम में नहीं पाया जाता है, तो यह माना जाएगा कि विशेष बोलीदाता के पास जबलपुर में अपना स्वयं का कार्यालय नहीं है, भले ही विशेष बोलीदाता द्वारा विभिन्न कॉलम में प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों के समूह में उक्त प्रमाण पत्र की उपलब्धता हो । Firm should have its own office at Jabalpur and should possess valid registration certificate in this regard as per Madhya Pradesh Shops and Establishment Act 1958. Otherwise the said bid will be rejected. Enclose valid certificate separately *(enclose in separate file as option provided by the portal under 'Seller Uploaded Documents' category against the Bid Documents' Buyer Requirement column "Registration Certificate for Geographical Presence as required by Buyer" in order to expedite the sorting process during technical evaluation)*. If not found in separate file in the relevant column, it will be presumed that the particular bidder doesn't have its own office at Jabalpur irrespective of availability of the said certificate in other set of documents/certificates submitted by the particular bidder in different columns.	
c) निविदाकार केन्द्र शासन के विभाग - केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, रेल विभाग, डाकतार विभाग, दूरसंचार विभाग, रक्षा विभाग अथवा राज्य शासन के विभाग - लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग अन्तर्गत **<u>सिविल ठेकेदार</u>** के रूप में पंजीयन का वैध प्रमाण-पत्र	
d) ईपीएफ पंजीकरण प्रमाणपत्र /EPF Registration Certificate	
e) ईएसआई/ पंजीकरण प्रमाणपत्र /ESI Registration Certificate	
f) जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र / GST Registration Certificate	
g) बोलीदाता का पैन कार्ड / PAN Card of the bidder	
h) पिछले तीन निर्धारण वर्ष (2022-23, 2023-24 & 2024-25) तक का आयकर (आईटी) विवरण / Income Tax (IT) Return for the last three Assessment Year (2022-23,	

2023-24 & 2024-25)	
i) निविदाकार कम से कम पिछले तीन वर्षो का केन्द्र/राज्य शासन के विभागों/उपक्रमों में **<u>पानी सप्लाई एवं पम्प मरम्मत कार्य</u>** के कार्यो का रख-रखाव एवं चालन को संतोषजनक रूप से पूरा करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें । निविदा प्रपत्र के साथ कम से कम पिछले तीन वर्षो में किये गये कार्यो के कार्य आदेश/कार्य पूर्णता का सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र या अन्य सहायक दस्तावेज भी संलग्न करें। नोट: नए स्टार्टअप के लिए अनुभव और टर्नओवर लागू नहीं है।	
j) क्या फर्म के विरुद्ध ईपीएफ / ईएसआई / जीएसटी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम या अन्य कानून के उल्लंघन के लिए कोई कानूनी मुकदमा / आपराधिक मामला लंबित है (विवरण दें) । फर्म / व्यक्ति आदि को यह सूचित करते हुए उसके खिलाफ कोई आपराधिक / कानूनी मुकदमा लंबित या चिन्तित न हो और गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर रु 500/या उससे अधिक रुपये का गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर नवीनतम (बोली प्रकाशन तिथि के बाद का) नोटरीकृत हलफनामा प्रस्तूत करना होगा । अन्यथा उक्त बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी।/ Whether the firm has any legal suit/criminal case pending against it for violation of EPF/ESI/GST, Minimum Wages Act or other law (give details). The firm//individual etc. must enclose a latest notarized affidavit **(issued from the Bid publish/start date and by the Bid end date)** indicating that there is no criminal/legal suit pending or contemplated against it & of non-blacklisting on non- judicial stamp paper of Rs. 500/- or more. Otherwise the said bid will be rejected.	
k) बोलीदाता को 500/- रुपये या उससे अधिक के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुलग्नक **I** में दिए गए निर्धारित प्रारूप में नोटरीकृत हलफनामा प्रस्तुत करना होगा । अन्यथा उक्त बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी। Bidder must submit Notarized affidavit **(issued from the Bid publish/start date and by the Bid end date)** in the prescribed format as given in Annexure I on non- judicial stamp paper of Rs.500/- or more. Otherwise the said bid will be rejected.	
l) स्टार्टअप बोलीदाता को उनकी मान्यता के लिए संबंधित विभाग/मंत्रालय से जारी वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। / Startup bidder should submit the valid certificate issued from the concerned department/ministry for their recognition.	
m) रु. 37,800/- (सैंतीस हजार आठ सौ रुपये मात्र) की ईएमडी किसी(राष्ट्रीयकृत बैंक से डीडी /एफडीआर /TDR के रूप में) निदेशक, उ.व.अ.सं, जबलपुर के पक्ष में आहरित । फर्मों/एजेंसियों/सोसाइटियों/व्यक्तियों आदि को सरकार के नियमों के अनुसार ईएमडी जमा करने से छूट दी जाएगी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (अर्थात एमएसएमई, स्टार्टअप इत्यादि) प्रस्तुत करने पर । EMD of Rs. 37,800/-(Rupees thirty seven thousand eight hundred only) (in the	

form of DD/FDR/TDR from Nationalized bank) in favor of Director, TFRI, Jabalpur. Firms/agencies/societies/individuals etc. will be exempted from submitting EMD as per Govt. norms subject to submission of the valid registration certificate (viz. MSME, Startup etc.).	
n) पावर ऑफ अटॉर्नी / पार्टनरशिप डीड की कॉपी यदि कोई हो / Copy of Power of attorney/Partnership deed if any	
o) अन्य दस्तावेज यदि कोई हो (केवल प्रासंगिक वैध दस्तावेजों को संलग्न किया जाना चाहिए जैसे आईएसओ 9001 प्रमाण पत्र, वार्षिक कारोबार साक्ष्य आदि)/ Others if any (Only relevant valid documents should be enclosed like ISO 9001 certificate, annual turnover evidence etc.)	

नोट: यदि निविदा दस्तावेज के हिंदी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण के बीच कोई टकराव या असंगति पाई जाती है, तो विवाद की स्थिति में न्यायालिन कार्यों हेतु अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

Note: If there is any conflict or inconsistency between the Hindi version and the English version of the tender document, then English shall be the governing and prevailing version.

<u>निविदा शर्तें</u>

(1) **कार्य का नाम :**

संस्थान अन्तर्गत कुल **ग्यारह** स्थानों पर लगे मोनोब्लाक, सबमर्सिबल पम्प आदि, जिनके द्वारा आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों को पानी प्रदाय किया जाता है, के चालन, मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य।

(2) **पात्रता :**

(i) निविदाकार केन्द्र शासन के विभाग - केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, रेल विभाग, डाकतार विभाग, दूरसंचार विभाग, रक्षा विभाग अथवा राज्य शासन के विभाग - लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग अन्तर्गत **<u>सिविल ठेकेदार</u>** के रूप में पंजीयन का वैध प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

(ii) निविदाकार कम से कम पिछले तीन वर्षो का केन्द्र/राज्य शासन के विभागों/उपक्रमों में **<u>पानी सप्लाई एवं पम्प मरम्मत कार्य</u>** के कार्यो का रख-रखाव एवं चालन को संतोषजनक रूप से पूरा करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें। निविदा प्रपत्र के साथ कम से कम पिछले तीन वर्षो में किये गये कार्यो के कार्य आदेश/कार्य पूर्णता का सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र या अन्य सहायक दस्तावेज भी संलग्न करें।

नोट: नए स्टार्टअप के लिए अनुभव और टर्नओवर लागू नहीं है।

(iii) निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ आयकर विभाग द्वारा प्रदायित आयकर रिटर्न संलग्न करें। (विगत तीन वर्ष)

(iv) यदि निविदाकार फर्म/ एजेंसी/सोसाइटी/व्यक्ति आदि के रूप में पंजीकृत है तो उसका पंजीयन प्रमाण-पत्र, पार्टनरशिप डीड एवं पावर ऑफ एटार्नी की प्रति यदि लागू हो तो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें।

(v) मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के तहत स्थानीय कार्यालय (अर्थात जबलपुर) का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें।

(vi) निविदाकार को EPF, ESI, GST की पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वच्छ प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

(vii) शेष दस्तावेज के लिए ऊपर सूची-I देखे।

(3) **प्रतिभूति राशि (EMD) : -**

(**i**) निविदा के साथ रु. 37,800/- (सैंतीस हजार आठ सौ रुपये मात्र) का शेड्यूल्ड बैंक द्वारा "**Director, TFRI, Jabalpur**" के नाम पर देय Demand Draft (DD)/Fixed Deposit Receipt(FDR)/Term Deposit Receipt (TDR) संलग्न करना अनिवार्य है । DD/FDR/TDR विज्ञापन दिनांक से तीन माह तक के लिए वैध होना चाहिये । यदि विधिमान्य प्रमाण-पत्र अर्थात् MSME इत्यादि है तो, प्रतिभूति राशि जमा करने की छूट प्राप्त होगी ।

(**ii**) असफल निविदाकारों द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि निविदाओं पर अंतिम निर्णय लिये जाने की तारीख से **90 दिन** के अन्दर वापिस कर दी जायेगी।

(**iii**) सफल निविदाकार द्वारा निविदा शर्त पॉच एवं छः के अनुसार अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने एवं परफार्मेन्स सिक्यूरिटी राशि जमा करने पर उनकी प्रतिभूति राशि वापिस कर दी जावेगी ।

(4) **निदेशक, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान को किसी भी निविदा को अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।**

(5) **अनुबन्ध पत्र :** सफल निविदाकार को स्वीकृति आदेश जारी होने की दिनांक से 15 **दिन** के अन्दर निदेशक, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के साथ एक अनुबन्ध पत्र (500 रू. के स्टाम्प पेपर) पर हस्ताक्षर करने होंगे।

(6) **परफार्मेन्स सिक्यूरिटी :** सफल निविदाकार को अनुबन्ध पत्र के साथ में वार्षिक निविदित राशि के 10 प्रतिशत के बराबर परफार्मेन्स सिक्यूरिटी डिपॉजिट "**Director, TFRI, Jabalpur**" के नाम पर देय DD के रूप में जमा करनी होगी।

(7) **प्रतिभूति राशि का राजसात :** यदि सफल निविदाकार द्वारा स्वीकृति आदेश की दिनांक से **15 दिन** के अन्दर निविदा शर्त क्र. 5 एवं 6 के अनुसार अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये जाते हैं एवं परफार्मेन्स सिक्योरिटी जमा नहीं की जाती है, तो निदेशक को स्वीकृति आदेश को निरस्त करते हुए प्रतिभूति राशि राजसात करने का अधिकार होगा ।

(8) **कार्य आदेशः** सफल निविदाकार द्वारा अनुबन्ध-पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा परफार्मेन्स सिक्यूरिटी तथा अन्य औपचारिकतायें पूरी करने पर उनको कार्य आदेश जारी किया जायेगा।

(9) **निविदा की अवधि :**

(**i**) निविदा की अवधि, कार्य आदेश जारी किये जाने के **अगले माह** की पहली तारीख से (अंग्रेजी कलेन्डर अनुसार) बारह माह के लिए रहेगी ।

(ii) यदि आवश्यकता हुई तो निविदा अवधि कार्य की संतुष्टि के आधार पर पूर्व की शर्तो एवं पूर्व की स्वीकृत दर पर **<u>नये निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने तक</u>** के लिए बढ़ाई जा सकती है।

(10) **अवधि पूर्व ठेके का निरस्तीकरण :**

(i) यदि ठेकेदार द्वारा ठेका अवधि के पूर्व अचानक ठेका छोड़ दिया जाता है तो निदेशक को अधिकार होगा कि वे परफार्मेन्स सिक्यूरिटी की पूर्ण राशि राजसात करने का अधिकार होगा । साथ ही निविदाकार को पॉच वर्षो के लिए काली सूची में दर्ज कर दिया जावेगा।

(ii) यदि ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है एवं नोटिस दिये जाने के बावजूद भी ठेकेदार की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होता है तो निदेशक को अधिकार होगा कि वे एक सप्ताह के नोटिस पर ठेके को निरस्त करते हुए परफार्मेन्स सिक्यूरिटी को पूर्ण रूप से राजसात करने का अधिकार होगा।

(11) **भुगतान का तरीका :** ठेकेदार को भुगतान सामान्यतः मासिक रूप से किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा प्रति माह की **<u>सात तारीख</u>** तक विगत माह का भुगतान बिल प्रस्तुत किया जायेगा। अपरहार्य कारणों से यदि किसी माह भुगतान में विलम्ब होता है तो ठेकेदार को किसी प्रकार के ब्याज अथवा क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी।

(12) **स्त्रोत पर आयकर की कटौती :** ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली मासिक राशि में से आयकर विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुरूप स्त्रोत पर ही आयकर की कटौती की जावेगी ।

(13) **कर्मचारियों/श्रमिकों का नियोजन :-**

(i) ठेकेदार को इस कार्य हेतु तीन रखरखाव कर्मी, पम्प संबंधित कार्यो की कुशलता के अनुसार (01 उच्च कुशल एवं 02 कुशल) रखना होगा जो घट बढ़ सकते हैं, जिससे रखरखाव का कार्य सुचारू रूप से चल सके । ठेकेदार "कृषि" कार्य के नियोजन की श्रेणी में न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत एवं समय समय पर श्रम आयुक्त, जबलपुर द्वारा जारी प्रचलित दर पर कर्मियों को भुगतान **केवल बैंक के माध्यम से (चेक, NEFT/RTGS इत्यादि) एवं इसकी रसीद की प्रति हर माह संस्थान में जमा करना होगा।** कर्मियों को समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के आधार पर, ठेका अधिनियम एवं अन्य कानूनी नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी । इन नियमों के अनुरूप जो भी अभिलेख संधारित किये जाते हैं वे भी संधारित करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी ।

(ii)निविदाकार द्वारा इस कार्य हेतु दर्शाई गई राशि से यदि श्रम नियमों के अनुसार न्यूनतम वेतन का भुगतान रखरखाव कर्मियों को करना संभव न हो तो ऐसी निविदा निरस्त कर दी जावेगी ।

(iii) ठेकेदार द्वारा लगाये गये रखरखाव कर्मियों को ठेके के दौरान, ठेके को अवधि पूर्व निरस्त किये जाने की स्थिति में अथवा ठेका पूर्ण होने के उपरान्त संस्थान में किसी प्रकार के रोजगार की पात्रता नहीं होगी ।

(iv) रखरखाव कर्मियों को मोटर, पंप, स्टार्टर आदि की प्राथमिक जानकारी होना आवश्यक है। कार्य के अनुरूप उचित रूप से प्रशिक्षित तथा शासकीय संस्थान/विभाग में विगत 5 वर्षो का मोटर, पंप, स्टार्टर,पानी सप्लाई आदि से संबंधित कार्य का अनुभव प्राप्त कर्मियों को ही ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाया जायेगा । प्रशिक्षित कुशल कर्मियों के पास आवश्यक अर्हता आदि के प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

(v) ठेकेदार उनके द्वारा लगाये गये रखरखाव कर्मियों की सूची, पूर्ण पते सहित, सम्पत्ति अधिकारी को सौंपेंगे। साथ ही कर्मचारियों के आगामी माह का मासिक ड्यूटी चार्ट भी उस माह की एक तारीख को सम्पत्ति अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा। ठेकेदार द्वारा प्रत्येक श्रमिक को पहचान पत्र भी जारी किया जायेगा।

(vi) ठेकेदार द्वारा लगाये गये रखरखाव कर्मी संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शालीनता का व्यवहार करेंगे। यदि रखरखाव कर्मियों के व्यवहार के बारे में निदेशक अथवा सम्पत्ति अधिकारी को किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो ठेकेदार को ऐसे रखरखाव कर्मियों को कार्य से 24 घंटे के अन्दर अलग करना होगा एवं उसके स्थान पर दूसरे रखरखाव कर्मियों की ड्यूटी लगानी होगी ।

(vii) ठेकेदार द्वारा लगाये गये रखरखाव कर्मियों को कार्य के दौरान अथवा कार्य के बाद यदि किसी प्रकार की दुर्घटना के कारण चोट पहुँचती है/आकस्मिक निधन होता है एवं श्रम नियमों के अनुरूप यदि रखरखाव कर्मियों को किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाना है तो यह जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी। संस्थान, ठेकेदार द्वारा इस प्रकार किये गये किसी भी व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं करेगा।

(viii) ठेकेदार अपने रखरखाव कर्मियों में से किसी एक को अपने प्रतिनिधि के रूप में नामांकित करेगा जो कि कार्य स्थल पर उपस्थित रहकर ठेकेदार को दिये जाने वाले नोटिस, स्मरण-पत्र, निर्देश आदि प्राप्त करेगा तथा सम्पत्ति अधिकारी के सतत् सम्पर्क में रहेगा जिससे कि ठेके का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा सके।

(ix) सफल निविदाकार को लगाये गये सभी रखरखाव कर्मियों को **प्रतिमाह** नियमानुसार भुगतान (**केवल बैंक के माध्यम से - चेक, NEFT/RTGS इत्यादि**) करके, भुगतान का विवरण निर्धारित प्रपत्र में इस संस्थान में प्रस्तुत करना होगा ।

(x) सफल निविदाकार को लगाये गये सभी रखरखाव कर्मियों को सुरक्षा के सभी उपकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(xi) सफल निविदाकार को लगाये गये सभी रखरखाव कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन **दो माह के अन्दर** करवाकर देना होगा ।

(**xii**) सफल निविदाकार को लगाये गये सभी रखरखाव कर्मियों का शासन के नियमानुसार EPF & ESI तथा GST (प्रचलित दर के अनुसार) संबंधित विभागों में प्रतिमाह जमा करवाकर उसकी एक प्रति संस्थान को देना होगा।

(**xiii**) ठेकेदार द्वारा रखे गये रखरखाव कर्मियों के बीच किसी भी प्रकार का असंतोष/विवाद/लेबर कमिश्नर/लेबर कोर्ट इत्यादि की स्थिति को ठेकेदार द्वारा ही सुलझाया जायेगा। संस्थान की किसी भी तरह से कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।

(**xiv**) ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि, उनके द्वारा काम पर लगाये हुए कर्मी की पिछले माह की मजदूरी/वेतन माह समाप्ति के 7वें दिन या उससे पूर्व कोई राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से उनकी ओर से पहले भुगतान किया गया हो संस्थान में उस महीने का बिल जमा करने से पहले (अदायगी हेतु)। संस्थान ठेकेदार के खिलाफ उनके तैनात कर्मियों को मजदूरी के देर से संवितरण पर आवश्यक कार्रवाई कर सकती है। सेवा प्रदाता पर 500/- रुपये प्रति दिन का जुर्माना लगाया जा सकता है यदि उनके तैनात कर्मियों को वेतन अगले महीने के 7वें दिन के बाद वितरित किया जाता है। **ठेकेदार को दो माह तक संस्थान से भुगतान मांगे बिना उक्त कर्मियों की मजदूरी/वेतन देने के लिए अपने पास पर्याप्त चल निधि रखनी चाहिए।**

(**xv**) सभी श्रमिकों को माह में किये गए कार्य दिवसों के आधार पर वेतन देय होगा (अर्थात् एक श्रमिक द्वारा एक माह में किये गये कार्य के वास्तविक दिन)। श्रमिकों को गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर उनकी ड्यूटी के लिए नियमानुसार वेतन दिया जाएगा।

(**xvi**) दूसरे पक्षकार को उच्च कुशल और कुशल श्रमिक के कार्य के अनुभव का विस्तृत विवरण देना होगा। बार–बार उच्च कुशल और कुशल श्रमिक को बदले जाने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि निरीक्षण प्राधिकारी ऐसा करने की इजाजत देता हो। अगर उच्च कुशल और कुशल श्रमिक की एवज़ में किसी अन्य को मुहैया कराया जाता है तो इसका पर्याप्त कारण दर्शाते हुए कार्यालय को सूचित करना होगा।

(14) **कार्य का विस्तृत विवरण :**

जल प्रदाय व्यवस्था : ठेकेदार, जल प्रदाय हेतु कार्य विवरण में उल्लेखित सभी के पूर्ण रूपेण रख-रखाव हेतु जिम्मेदार होगा। इस कार्य अन्तर्गत पम्प की मोटर खराब होने पर पम्प को बाहर निकालना, उसके स्थान पर आकस्मिक व्यवस्था हेतु संस्थान द्वारा प्रदाय किये गये पम्प को बोर में बैठालना, निकाले गये पम्प की मरम्मत इत्यादि का सम्पूर्ण कार्य शामिल हैं। इस कार्य में पम्प से जुड़े हुए विद्युत पेनल इत्यादि का कार्य भी शामिल हैं। मरम्मत/रखरखाव हेतु जो भी सामग्री आदि लगेगी वह ठेकेदार द्वारा स्वयं क्रय करके लगायी जायेगी। कहने का तात्पर्य है कि जल प्रदाय व्यवस्था हेतु जल के श्रोत से लेकर पम्प तक की सप्लाई, पम्प एवं पम्पहाऊस से जुड़ी हुई सभी व्यवस्थाओं को ठेकेदार द्वारा ही देखा जाना है एवं इस व्यवस्था हेतु जो भी व्यय किया जाना है वह भी ठेकेदार द्वारा ही

किया जायेगा। इस मद अन्तर्गत कोई भी सामग्री संस्थान द्वारा नहीं प्रदाय की जावेगी। जल प्रदाय व्यवस्था अन्तर्गत निर्धारित समय पर पम्प को चलाना, सम्पवेल/ओव्हर हेड टेंक को भरना तथा परिसर अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर लगे वाल्व को आवश्यकतानुसार खोलकर/बन्द कर सभी आवासीय/गैर आवासीय भवनों को पानी प्रदाय करने का कार्य भी शामिल है। ओव्हर हेड टैंक के बाद की पाईप लाईन आदि के रख-रखाव की जिम्मेदारी संस्थान की रहेगी । रोजमर्रा की साफ सफाई जैसे फिल्टर टैंक में पानी की सतह से काई, पत्तियों कचरा आदि साफ करना। फिल्टर टेंक के खाली होने के स्थिति में रेत के उपर की सिल्ट आदि सफाई का कार्य ठेकेदार द्वारा सम्पादित किये जावेंगे। वर्षा ऋतु में नदी में पानी बढने की स्थिति में पम्प को उपर खिसकाना अथवा गर्मीयों में पानी कम होने पर पम्प को नदी की तरफ खिसकाने का कार्य ठेकेदार को आवश्यकतानुसार करना होगा। सभी पम्प हॉउस/स्थलों एवं उसके आस-पास की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा हर तीन माह में यह कार्य कराना होगा अन्यथा 5000/- रूपये की पेनाल्टी ठेकेदार से वसूली जाएगी।

निविदा शर्तों में उल्लेखित कार्य यदि ठेकेदार नहीं करता है तो संस्थान उक्त कार्य अपने स्तर पर करा लेगा तथा उसमें आयी समस्त लागत ठेकेदार के मासिक बिल या जमा सुरक्षा निधि से काट लिया जायेगा। साथ ही कुल लागत पर 10% पेनाल्टी लगाई जाएगी। इस सम्बन्ध में निदेशक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(15) शिकायतों का निराकरण :

कार्य विवरण में उल्लेखित सभी पम्प को अच्छी हालत में रखना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। यदि कोई पम्प खराब होता है तो तत्काल उस पम्प के स्थान पर आकस्मिक व्यवस्था हेतु रखे गये पम्प को ठेकेदार द्वारा लगाया जावेगा। यदि आकस्मिक व्यवस्था हेतु पम्प उपलब्ध नहीं है तो खराब हुए पम्प को **<u>बाहत्तर घंटे</u>** के अन्दर ठेकेदार द्वारा सुधार कर पुनः लगाया जावेगा। यदि ठेकेदार द्वारा पम्प को निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं सुधारा जाता है तो उक्त कार्य संस्थान द्वारा करा लिया जावेगा। साथ ही पम्प मरम्मत में इस प्रकार किये गये अनावश्यक विलम्ब को ठेके का उल्लंघन माना जावेगा एवं इस प्रकार कराये गये प्रत्येक कार्य के लिए रू. 2000/- का जुर्माना किया जावेगा। पम्प की मरम्मत पर संस्थान द्वारा किया गया व्यय एवं जुर्माने की राशि ठेकेदार के मासिक देयक से काटी जायेगी। इस संबंध में निदेशक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। यदि ठेकेदार द्वारा निदेशक/सम्पत्ति अधिकारी के व्यवस्था में सुधार संबंधी निर्देश को नहीं माना जाता है तो इसे भी ठेके का उलंधन माना जावेगा एवं उचित जुर्माना निर्धारित करते हुये मासिक बिल से जुर्माने की राशि काटी जावेगी।

(16) उपकरणों आदि को नुकसान पहुँचाना :

(i) ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह ठेका समाप्ति के उपरान्त सभी पम्प, उपकरण आदि चालू एवं अच्छी हालत में संस्थान को सौंपेंगे।

(ii) स्थापित उपकरणों को ठेकेदार की लापरवाही से यदि किसी प्रकार का नुकसान पहुँचता है तो उपकरण की मरम्मत ठेकेदार को अपने व्यय पर करनी होगी । यदि ठेकेदार द्वारा उक्त मरम्मत कार्य नहीं किया जाता है तो संस्थान द्वारा उक्त कार्य करा लिया जायेगा एवं कार्य पर किया गया व्यय

ठेकेदार के मासिक बिल की राशि से काटा जायेगा। साथ ही प्रत्येक ऐसे प्रकरण में रू. 2000/- का जुर्माना भी किया जायेगा। आवसीय परिसर में फिल्टर युक्त पानी सप्लाई (बिजली न होना व मोटर खराब होने की दशा को छोडकर) न करने पर प्रति दिन रू.1000/- की दर से आप पर अर्थदण्ड लागाया जावेगा , जो आपके मासिक बिल से काट लिया जावेगा।

(iii) यदि ठेकेदार की लापरवाही से हुआ व्यय मासिक देयक से ज्यादा है तो अतिरिक्त राशि ठेकेदार की परफार्मेन्स सिक्योरिटी से काटी जावेगी। यदि ठेकेदार की लापरवाही से हुआ व्यय परफार्मेन्स सिक्यूरिटी से भी ज्यादा है तो उक्त व्यय ठेकेदार से बतौर बकाया भू-राजस्व (Arrears of land revenue) वसूल किया जावेगा।

(17) निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से भरना अनिवार्य है।

(18) इस कॉन्ट्रैक्ट में GFR 2017 के नियम 225 के प्रावधान लागू होंगे।

(19) **न्यायालय का अधिकार क्षेत्र :** यदि इस अनुबन्ध के तहत किसी प्रकार का मतभेद अथवा विवाद उत्पन्न होता है तो इससे संबंधित वाद जबलपुर स्थित सक्षम न्यायालय में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।

दिनांक : (निविदाकार के हस्ताक्षर)

स्थान :

निविदाकार का नाम : ....

पूरा पता :.......................................

<u>**प्रमाण-पत्र**</u>

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा निविदा शर्त क्र. 1 से 19 तक का भलीभांति अध्ययन कर लिया गया है एवं उनको भलीभाँति समझ लिया गया है एवं मैं उनका पालन करने हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

दिनांक : निविदाकार के हस्ताक्षर

स्थान :

निविदाकार का नाम :..........................

पूरा पता :...
....
....

गवाह -

(1) हस्ताक्षर :...

नाम : ....

पूरा पता :...

....

फोन नं. :..

<u>शपथ पत्र</u>

(बोलीदाता को रु 500/- या अधिक के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत हलफनामा निदेशक, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

मैं ____इस बात की पुष्टि करता हूं कि मैंने टीएफआरआई, जबलपुर में "**संस्थान अन्तर्गत कुल ग्यारह स्थानों पर लगे मोनोब्लाक, सबमर्सिबल पम्प आदि, जिनके द्वारा आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों को पानी प्रदाय किया जाता है, के चालन, मरम्मत एवं रख–रखाव का कार्य**" के लिए अपनी फर्म के संबंध में सेवा शुल्क के लिए वित्तीय बोली में व्यवहारिक राशि उद्धृत की है। मैं सहमत हूं कि TFRI प्राधिकरण मेरे द्वारा उद्धृत सेवा शुल्क की व्यावहारिकता तक पहुँचने के लिए मेरे द्वारा उद्धृत सेवा शुल्क के औचित्य के लिए कह सकता है। यदि TFRI प्राधिकरण को उद्धृत सेवा शुल्क अव्यावहारिक रूप से कम लगती हैं, तो मेरी बोली को गैर-जिम्मेदार माना जा सकता है और इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

मैं यह भी मानता हूं कि अनुबंध की अवधि के दौरान यदि यह टीएफआरआई प्राधिकरण द्वारा पाया जाता है कि मैं या मेरा फर्म कटौती करते हैं या हमारे लाभ मार्जिन के लिए लगे श्रमिकों से पैसे लेते हैं और मेरे या मेरे लिखित रूप में मेरे फर्म के खिलाफ श्रमिकों से शिकायतें प्राप्त होती हैं और सही पाया जाता है, तो मेरा अनुबंध रद्द किया जा सकता है और सुरक्षा जमा पूरी तरह से जब्त किया जा सकता है। साथ ही, मुझे या मेरी फर्म को ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है और टीएफआरआई अथॉरिटी उपरोक्त निविदा के लिए अनुबंध को अगली रैंकिंग बोलीदाता यानी एल 2 को दे सकती है या नई निविदा की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इस संबंध में निदेशक / टीएफआरआई प्राधिकरण, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर का निर्णय अंतिम और मेरे लिए बाध्यकारी होगा।

तिथि के साथ निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर------------------------------
पता--

साक्षी का नाम और हस्ताक्षर-------------------------------------
पता---

TENDER FORM

1. टेंडरिंग कंपनी/फर्म/एजेंसी/व्यक्ति का नाम/Name of Tendering Company/Firm/Agency/Individual:

   ____

2. फर्म के मालिक / भागीदारों का नाम) Name of firm proprietor/ partners): ----------------------
   ----

   ____

3. कंपनी / फर्म / एजेंसी / व्यक्ति के कार्यालय का पूरा पता /Full Address of Office of the Company/ Firm / Agency/Individual:

   ____

   ____

   ____

   ____

   a. Telephone/Mobile No:
   b. FAX No (if any):
   c. E-Mail Address :

4. कंपनी / फर्म / एजेंसी / व्यक्ति का पैन नंबर PAN No. of the Company / Firm / Agency / Individual:____

   ________________________ (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें) (Attach self attested copy)

5. गुड्स सर्विस टैक्स (GST) पंजीकरण संख्या /Goods Service Tax (GST) Registration No. :-

   ____

   (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें) /(Attach self attested copy)

6. पिछले तीन निर्धारण वर्ष के लिए आयकर रिटर्न की फोटोकॉपी (वर्ष का उल्लेख करें)/Photocopy of income tax return for the last three assessment years (Mention the year) :____ (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें) /(Attach self attested copy)

7. क्या मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अनुसार बोलीदाता का स्थानीय कार्यालय जबलपुर में है/Whether bidder has local office at Jabalpur as per Madhya Pradesh Shops and Establishment Act 1958. :_______ (हां / नहीं) (इसके समर्थन में स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)/(Yes/No) (Attach self attested copy in support of it)

8. प्रतिभूति राशि का विवरण/Details of Earnest Money: Rs.________________ (DD/FDR/TDR) नं./No.________________तारीख Date/ ________________ बैंक में देय/drawn on Bank__________________________________ निदेशक, उ.व.अ.सं., जबलपुर के पक्ष में/in favor of Director, TFRI, Jabalpur. (या स्वप्रमाणित छूट दस्तावेज संलग्न करें/ Or attach self attested Exemption document).

9. क्या निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर और मुहर लगी है: (हां / नहीं)/Whether each page of tender document has been signed and stamped:____.(Yes/No)

10. पंजीकरण का विवरण/Details of Registration:

विभाग का नाम, जहां ठेकेदार / फर्म के रूप में पंजीकृत है /Name of Department, where registered as contractor/firm ________________________पंजीकरण संख्या /Registration Number ____________________

पंजीकरण की समाप्ति तिथि /Expiry date of Registration____

11. बिडर का बैंक, उसका पता और बैंक खाता संख्या /Bidder's Bank, its address and Bank account no:

____

____

____

____

मैं / हम इस बात की घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सही और सच्ची है /I/We hereby declare that the information furnished above is true and correct.

Place/स्थान : फर्म की सील के साथ बोलीदाता / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर /Signature of Bidder/Authorized Signatory with seal of the firm

Date/दिनांक : निविदाकर्ता का नाम/Name of the Bidder: ________________

File No.1/27(1)/2024-LS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner(C)
New Delhi

Dated: 25/09/2024

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 186(E) dated **19th January, 2017** of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance for the employees employed in **Agriculture** w.e.f. **01.10.2024** on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 402.09 from 399.70 as on 30.06.2024 (Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 2.40 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2024:-

Category of worker	Rates of V.D.A. Area wise per day (in Rupees)		
	'A'	'B'	'C'
Unskilled	167	154	152
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	182	167	155
Skilled/Clerical	198	182	167
Highly Skilled	218	204	182

Therefore, the minimum rates of wages including the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.10.2024 to the employees working in Agriculture shall be as under:-

Category of worker	Rates of wages including V.D.A. Area wise per day (in Rupees)		
	A	B	C
Unskilled	333+167=500	303+154=457	300+152=452
Semi- Skilled/Unskilled Supervisory	364+182=546	335+167=502	307+155=462
Skilled/Clerical	395+198=593	364+182=546	334+167=501
Highly Skilled	438+218=656	407+204=611	364+182=546

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.

Onkar Sharma

(Dr. Onkar Sharma)
Chief Labour Commissioner(C)